सहमति संबंधी घोषणा

से:

उधारकर्ता का नाम:

सह-उधारकर्ता 1 का नाम:

उधारकर्ता का पता:

सह-उधारकर्ता 1 का पता:

सह-उधारकर्ता 3 का नाम:

सह-उधारकर्ता 2 का नाम:

सह-उधारकर्ता 2 का पता:

सह-उधारकर्ता 3 का पता:

सह-उधारकर्ता 4 का नाम:

सह-उधारकर्ता 5 का नाम:

सह-उधारकर्ता 4 का पता:

सह-उधारकर्ता 5 का पता:

गारंटर का नाम:

गारंटर का पता:

सेवा में:

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
'चोला क्रेस्ट', C 54 और 55, सुपर B-4,
थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट,
गिंडी,
चेन्नई -600032.

सीआईएन: L65993TN1978PLC007576.

महोदय,

संदर्भ: आवेदन संख्या:

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि ऋण प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा प्रदान किए गए/किए जाने वाले सभी विवरण, सूचनाएं और दस्तावेज मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के आधार पर हर तरह से वास्तविक और सटीक हैं/होंगे और मैं/हम उनमें कोई परिवर्तन होने पर उसके बारे में आपको तुरंत सूचित करने का वचन देते हैं /देता हूँ। मुझे पता है कि यहां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान और अपलोड किए गए विवरण और दस्तावेज, सीआईएफसीएल कर्मचारियों या उसके एजेंटों के सहयोग से प्रदान और अपलोड किए गए हैं।

2. यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी या विवरण गलत या झूठा या गुमराह करने वाला या गलत मतलब निकालने वाला पाया जाता है, तो मुझे/हमें पता है कि इसके लिए मुझे/हमें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मैं/हम चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सीआईएफसीएल) और उसके सहयोगियों या किसी अन्य व्यक्ति को सभी विवरण, जानकारी और दस्तावेजों को बनाए रखने/शेयर करने, क्रेडिट का मूल्यांकन करने के लिए या किसी अन्य उद्देश्य से इनमें से किसी भी जानकारी को सत्यापित करने या शेयर करने का अधिकार देते हैं /देता हूँ।

3. मैं/हम यहाँ इसके माध्यम से चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सीआईएफसीएल) और उसके टेली-कॉलिंग सेवा प्रदाताओं को मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी का सत्यापन करने, उसकी गुणवत्ता की जांच करने, वैधानिक/विनियामक आवश्यक शर्तों का पालन करने और अन्य ऋण संबंधी गतिविधियों के उद्देश्य से मेरे/हमारे और सीआईएफसीएल के कर्मचारी के बीच दूरसंचार-वार्ता/वॉयस कॉल को रिकॉर्ड करने और उसे अपने पास बनाए रखने का अधिकार देते हैं /देता हूँ। मैं/हम समझता हूँ /समझते हैं कि कि इस रिकॉर्डिंग में मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी/डेटा जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, पैन, रोजगार, आय और क्रेडिट संबंधी जानकारी हो सकती है।

4. मैं/हम यहाँ इसके माध्यम से यह घोषणा करता हूँ /करते हैं। कि मैं/हम यह आवेदन किसी अधिनियम, नियम, विनियम या किसी क़ानून या विधान या किसी सरकारी या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचना/निर्देश का उल्लंघन या विरोध करते हुए नहीं कर रहे हैं। मुझे/हमें अच्छी तरह मालूम है कि मेरे/हमारे ऋण आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करना, सीआईएफसीएल के एकमात्र और सम्पूर्ण विवेक पर निर्भर करता है। मैं/हम वचन देते हैं /देता हूँ और मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि ऋण के रूप में मिलने वाले पैसों का उपयोग, ऊपर बताए गए उद्देश्य के लिए किया जाएगा और इसका उपयोग, किसी अवैध, सट्टेबाजी या असामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। मैं/हम इस बात की पुष्टि करता हूँ /करते हैं। कि मेरे खिलाफ कोई दिवालियापन संबंधी कार्यवाही या बकाया राशि की वसूली के लिए कोई मुकदमा शुरू नहीं किया गया है और/या लंबित नहीं है।

5. कहने का मतलब है, मेरी/हमारी पारिवारिक इकाई, यानी (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे) की वार्षिक आय, तीन (3) लाख रुपये से अधिक है। इसलिए, वर्तमान सुविधा के तहत मेरा/हमारा उधार, माइक्रोफाइनेंस ऋण मानने योग्य नहीं है।

6. मैंने/हमने समय-समय पर मेरे द्वारा लिए जा सकने वाले ऋण पर लागू हो सकने वाले शुल्कों और प्रभारों को पढ़ और समझ लिया है। मुझे/हमें पता है कि प्रशासनिक एवं प्रोसेसिंग शुल्क तथा लागू होने योग्य कर, वापस करने योग्य नहीं हैं, तथा कोई भी लेनदेन, नकद में नहीं किया गया है। मैं/हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के तहत सीआईएफसीएल के निदेशकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार राजनीतिक रूप से संबंधित व्यक्ति नहीं हैं। मैं/हम समय-समय पर लागू होने वाले सीआईएफसीएल के सभी मानदंडों का पालन करूंगा/करेंगे तथा उपरोक्त स्थिति में कोई भी परिवर्तन

होने पर उसके बारे में कंपनी को सूचित करूंगा/करेंगे। मैंने/हमने ऐसी कोई जानकारी नहीं छिपाई है या मैं/हम ऐसी कोई जानकारी नहीं छिपाऊंगा/छिपाएंगे जो सीआईएफसीएल के निर्णय को प्रभावित कर सकती हो।

7. मैं/हम, केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के डाटाबेस से सिर्फ मेरी/हमारी पहचान और पते का सत्यापन करने के लिए, सीकेवाईसीआर से मेरे/हमारे केवाईसी रिकॉर्ड्स को डाउनलोड करने की सहमति देता हूँ /देते हैं। मैं/हम समझता हूँ /समझते हैं कि कि मेरे/हमारे केवाईसी रिकॉर्ड में मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी जैसे मेरा/हमारा नाम, पता, जन्म तिथि, पैन नंबर, आदि शामिल है। इसके अलावा, मैं/हम यहाँ इसके माध्यम से, आपको प्रदान किए गए नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सीकेवाईसीआर से जानकारी प्राप्त करने की सहमति देता हूँ /देते हैं।

8. मेरे/हमारे द्वारा आपको दिए गए केवाईसी प्रमाण में कोई भी अपडेट होने पर, मैं/हम ऐसे अपडेट के 30 दिनों के भीतर आपको अपडेटेड केवाईसी प्रमाण की एक स्व-सत्यापित कॉपी प्रदान करने का वचन देता हूँ /देते हैं। इसी तरह, आवेदक/सह-आवेदक के लाभकारी स्वामित्व के विवरण में कोई परिवर्तन होने पर, उसे अंतिम लाभकारी स्वामियों के केवाईसी प्रमाण के साथ तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा।

9. मैं/हम यहाँ इसके माध्यम से अपनी इच्छा से सीआईएफसीएल को मेरी/हमारी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में यूआईडीएआई (आधार) द्वारा जारी किए गए आधार कार्ड/भौतिक ई-आधार/मास्क किए गए आधार की कॉपी प्रदान करता हूँ /करते हैं । मुझे/हमें यह भी पता है और बता दिया गया है कि सीआईएफसीएल द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले विकल्पों के अनुसार पहचान और पते के प्रमाण के रूप में आधार के अलावा कोई अन्य दस्तावेज भी प्रदान किया जा सकता है। मैं/हम सीआईएफसीएल को, मैंने/हमने जिसे सुविधा के लिए आवेदन किया था उसे प्रदान करने के लिए, मेरे आधार को सत्यापित करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति प्रदान करता हूँ /करते हैं । मेरे/हमारे द्वारा पते/पहचान के प्रमाण के रूप में आधार xml फ़ाइल प्रदान किए जाने पर, सीआईएफसीएल उसे डिक्रिप्ट कर सकता है और रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास रख सकता है तथा उसे डिक्रिप्ट करने के लिए वह किसी तीसरे पक्ष की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। सीआईएफसीएल ने मुझे/हमें समझा दिया है कि आधार में मौजूद पहचान और पते को सीआईएफसीएल अपने काम के सिलसिले में जरूरत पड़ने पर इस तरह के क्रेडिट और फील्ड सत्यापन के लिए शेयर कर सकता है।

10. मैं/हम यहाँ इसके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत बताई गई प्रक्रियाओं और प्रमाणीकरण तकनीकों का पालन करके ऋण संबंधी दस्तावेजों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करने की सहमति देता हूँ /देते हैं।, जिसमें आधार या अन्य ई-केवाईसी सेवा के माध्यम से ई-हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण भी शामिल है।

11. सरकारी निकाय है, द्वारा पहचाने और सूचीबद्ध किए गए अधिकार क्षेत्रों से संबंधित लोगों के साथ कोई व्यापार/व्यवसाय लेनदेन/संबंध नहीं है, जिनके सार्वजनिक बयानों में एंटी-मनी लॉन्डरिंग (धन शोधन विरोध) और/या आतंकवाद वित्तपोषण लड़ाई में कमियों का उल्लेख किया गया है।

12. मैं/हम यहाँ इसके माध्यम से सीआईएफसीएल को मेरी/हमारी ऋण पात्रता की जांच करने के लिए क्रेडिट सूचना कंपनियों से मेरी/हमारी क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ /देते हैं। मैं/हम सहमति देता हूँ /देते हैं। कि मेरे/हमारे द्वारा प्रदान किए गए संदर्भ संपर्कों से मेरी/हमारी पहचान, मेरे/हमारे द्वारा उधार के पैसे चुकाने की क्षमता के सत्यापन और/या मेरे/हमारे द्वारा देय तिथि को उधार के पैसे चुकाने में विफलता सहित इस आवेदन की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर उधार के पैसे वसूलने का प्रयास करने के लिए संपर्क किया जा सकता है। मैं/हम इस बात से सहमत हूं/हैं और यह स्वीकार करता हूँ /करते हैं। कि सीआईएफसीएल अपने विवेक के आधार पर, स्वयं या अधिकृत व्यक्तियों, अधिवक्ता, एजेंसियों, ब्यूरो आदि के माध्यम से समय-समय पर, उन्हें दी गई किसी भी जानकारी का सत्यापन कर सकता है, क्रेडिट संदर्भों और रोजगार विवरणों की जांच कर सकता है और ऋण पात्रता

निर्धारित करने के लिए क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। मैं/हम यहाँ इसके माध्यम से सीआईएफसीएल को मेरे/हमारे पेशे की वैधता की जांच करने के लिए आधिकारिक पेशा पंजीकरण निकायों से मेरे/हमारे पेशे का विवरण प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ /देते हैं। मैं/हम समझता हूँ /समझते हैं कि कि ब्याज दरें, व्यक्तिगत क्रेडिट और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर, अलग-अलग श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए अलग-अलग होंगी। सीआईएफसीएल की वेबसाइट पर ब्याज दर मॉडल का खुलासा कर दिया गया है।

13. मैं/हम आपको मुझे/हमें निम्नलिखित के बारे में बताने के लिए एसएमएस/ईमेल/सूचनाएं भेजने और कॉल करने की अनुमति देते हैं /देता हूँ:

- मेरे ऋण खाते/खातों से संबंधित लेनदेन संबंधी संदेश (अनिवार्य);

गैर-लेनदेन संबंधी संचार पाने का विकल्प चुनने के लिए बॉक्स पर निशान लगाएं;

☑ ऋण/सेवाओं या अन्य संबंधित उत्पादों से संबंधित वाणिज्यिक, विपणन और प्रचार संदेश;

☑ जन्म/विवाह दिवस की बधाई सहित मौसम की बधाई।

ध्यान दें: आवेदक, सीआईएफसीएल से संपर्क करके गैर-लेनदेन संबंधी संचार पाने के लिए दी गई सहमति को संशोधित/रद्द कर सकता है।

14. मैं/हम सीआईएफसीएल से यह अनुरोध करता हूँ /करते हैं। कि वह मंजूरी के आधार पर मुझे/हमें जीवन, स्वास्थ्य, दुर्घटना आदि के लिए बीमा पॉलिसी कवर की सुविधा प्रदान करे और सीआईएफसीएल के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा भी प्रदान करे।

धन्यवाद,

भवदीय,

इनके लिए

उधारकर्ता का नाम और हस्ताक्षर:	सह-उधारकर्ता 1 का नाम और हस्ताक्षर	सह-उधारकर्ता 2 का नाम और हस्ताक्षर:	सह-उधारकर्ता 3 का नाम और हस्ताक्षर:
सह-उधारकर्ता 4 का नाम और हस्ताक्षर:	सह-उधारकर्ता 5 का नाम और हस्ताक्षर:	गारंटर का नाम और हस्ताक्षर:	

ऋण समझौता – व्यक्तिगत ऋण

यह ऋण समझौता, ऋण समझौते की अनुसूची में उल्लिखित तारीख को **('निष्पादन तिथि')**इनके द्वारा और बीच किया गया है:

उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता, जिनके बारे में यहाँ इस अनुसूची में विशेष रूप से बताया और निर्धारित किया गया है (जिन्हें यहाँ इसके बाद से "उधारकर्ता" कहकर संबोधित किया गया है) और गारंटर जिनके बारे में यहाँ इस अनुसूची में विशेष रूप से बताया और निर्धारित किया गया है (जिन्हें यहाँ इसके बाद से "गारंटर" कहकर संबोधित किया गया है) जिनकी अभिव्यक्तियों का मतलब और जिनमें, संदर्भ या उसके अर्थ के विपरीत न होने तक, उनके संबंधित वारिस, निष्पादक, प्रशासक, नामित व्यक्ति, वकील, और कानूनी प्रतिनिधि होंगे और शामिल होंगे ,जो कि एक पक्ष में शामिल लोग हैं

और

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित और पंजीकृत कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय, 'चोला क्रेस्ट', C 54 और 55, सुपर B-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई - 600 032 में स्थित है, (जिसे यहाँ इसके बाद से "कंपनी" कहकर संबोधित किया गया है), जिसकी अभिव्यक्ति का मतलब और जिसमें, संदर्भ या अर्थ के विपरीत न होने तक, उनके उत्तराधिकारी और आवंटित व्यक्ति होंगे और शामिल होंगे जो कि दूसरा पक्ष है

उधारकर्ता, गारंटर और कंपनी को यहाँ इसके बाद से सामूहिक रूप से "पक्षों" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहकर संबोधित किया जाएगा

जहाँ:

A. कंपनी अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न ग्राहकों को ऋण/क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है;

B. उधारकर्ता ने कंपनी से, उस उद्देश्य के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है जिसके बारे में यहाँ इसके तहत ऋण आवेदन और अनुसूची में और अधिक विस्तार से बताया गया है;

C. गारंटर ने कंपनी से उधारकर्ता को कथित वित्तीय सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है और इसके बदले में, गारंटर ने कंपनी को यहाँ इसमें शामिल अनुबंधात्मक नियमों और शर्तों को उधारकर्ता द्वारा सही से पालन किए जाने की गारंटी देने और इस ऋण समझौते में बताए गए सभी दायित्वों का पालन करने पर सहमति व्यक्त की है;

D. कंपनी, उधारकर्ता और गारंटर द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, उधारकर्ता को नीचे बताए गए नियमों और शर्तों के तहत ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है।

अब यह ऋण समझौता निम्नलिखित बातों की गवाही देता है:

1. **परिभाषाएँ और व्याख्याएँ**

इस ऋण समझौते में, इस विषय या उसके संदर्भ के विपरीत कुछ न होने तक, नीचे सूचीबद्ध अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे। यहां परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों की व्याख्या और अर्थ वही होगा जो सामान्य धारा अधिनियम 1897 की दृष्टि से व्याख्या और अर्थ के बारे में बताया गया है।

a. "लागू होने योग्य कानून" का अर्थ है - किसी भी (a) संविधान, संधि, विधान, क़ानून, संहिता, नियम, विनियम, अधिसूचना, परिपत्र या सर्कुलर, अध्यादेश या ऐसे किसी सरकारी प्राधिकरण के आदेश के सभी लागू प्रावधान जिनके पास कानून का पालन कराने का अधिकार है, और (b) किसी भी सरकारी प्राधिकरण के आदेश, निर्णय, निषेधाज्ञा, न्याय, पुरस्कार और डिक्री या उनके साथ किया गया समझौता।

b. "देय तिथि" का मतलब वह तारीख है जिस तारीख को ऋण समझौते की किसी भी धारा के तहत, ऋण की मूल धनराशि की एक किस्त, ब्याज और/या इस ऋण समझौते के तहत दी जाने वाली कोई अन्य धनराशि और/या ऋण धनराशि की शेष राशि का भुगतान किया जाना बाकी है।

c. "इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवाएं" या "ईसीएस" और "राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस" या " एनएसीएच" का मतलब डेबिट क्लियरिंग सेवा है जिसमें ईएनएसीएच या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया कोई अन्य अधिदेश भी शामिल है, जिसमें भाग लेने के लिए उधारकर्ता ने इस ऋण समझौते के तहत किस्तों का भुगतान करने की लिखित सहमति दी है।

d. किस्त" का मतलब वह धन राशि है जो ऋण की अवधि के दौरान ऋण और उसका ब्याज चुकाने के लिए कंपनी को हर देय तिथि पर उधारकर्ता द्वारा दिया जाना है।

e. "ऋण समझौते" का मतलब है और इसमें शामिल है - यह ऋण समझौता, अनुसूची/अनुसूचियां, कोई परिशिष्ट, स्वागत पत्र, पूरक समझौते या संलग्नक जिन्हें इस ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार समय-समय पर यहाँ संलग्न या संशोधित किया जा सकता है।

f. "ऋण" का मतलब वह लघु उद्यम ऋण राशि है जिसके बारे में इस ऋण समझौते की अनुसूची में बताया गया है।

g. "ऋण आवेदन" का मतलब उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता से भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऋण प्रदान करने के लिए किया जाने वाला अनुरोध या आवेदन है।

h. "बकाया देय राशि" का मतलब वह बकाया ऋण राशि, उसकी किस्तें और उन पर अब तक जमा होने वाले ब्याज जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और कोई अन्य शुल्क, दंडात्मक शुल्क, लागत, लागू होने योग्य शुल्क होंगे जो ऋण के संबंध में उधारकर्ता द्वारा कंपनी को दिया जाना हो।

i. **"दण्डात्मक शुल्क" का मतलब, इस ऋण समझौते के अनुच्छेद 16 में बताया गया है।**

j. "प्रीक्लोज़र या पूर्व-समापन" का मतलब है - समय से पहले ऋण चुकाना या पुनर्भुगतान करना जिसे कंपनी द्वारा ऐसे भुगतान के लिए बनाए गए और ऐसे भुगतान के समय लागू नियमों और शर्तों के अनुसार करना होता है।

k. "ब्याज दर" का मतलब - इस ऋण समझौते के अनुच्छेद 3 में उल्लिखित ब्याज दर है।

l. "पुनर्भुगतान" का मतलब है - ऋण की मूल राशि के साथ-साथ उस पर लगने वाले ब्याज को चुकाना जिन्हें किस्तों के माध्यम से चुकाना होता है जिसमें दंडात्मक शुल्क या प्रभार, प्रतिबद्धता और/या कोई अन्य शुल्क, प्रीमियम, फीस या इस ऋण समझौते के अनुसार कंपनी को दी जाने वाली अन्य बकाया राशि शामिल है और इसमें विशेष रूप से, इस ऋण समझौते के अनुच्छेद 7 में बताया गया ऋणशोधन भी शामिल है:

m. "स्वीकृति पत्र" का मतलब है कंपनी द्वारा उधारकर्ता को दिया जाने वाला वह पत्र जिसमें उसके ऋण अनुरोध को स्वीकार करने की बात कही गई हो और जिसमें उस ऋण से जुड़े विवरण, नियम और शर्तें शामिल होती हैं।

n. "अनुसूची" का मतलब है - इस ऋण समझौते की अनुसूची।

o. "स्वागत पत्र" का मतलब है - इस समझौते को करने के बाद, कंपनी द्वारा उधारकर्ता को जारी किया गया वह पत्र, जिसमें देय तिथियों, प्रत्येक देय तिथि पर देय किस्तों, किस्तों के भुगतान की बारंबारता, और प्रत्येक किस्त में शामिल मूलधन और ब्याज के बारे में बताया गया हो।

2. ऋण की शर्तें:

a. कंपनी यहाँ इसके द्वारा ऋण आवेदन और स्वीकृति पत्र में उल्लिखित उद्देश्य के लिए उधारकर्ता को यहां बताई गई शर्तों पर ऋण देने के लिए सहमत है।

b. इस ऋण समझौते के तहत प्रदान किया जाने वाला ऋण, संवितरण तिथि से लेकर अनुसूची (ऋण अवधि) में बताई गई अवधि तक के लिए दिया जाएगा, जब तक कि इस ऋण समझौते के तहत बताई गई शर्तों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा बकाया राशि के साथ-साथ ऋण को पूरी तरह से चुकाते हुए, इस ऋण समझौते को यहां बताए गए ढंग से समय से पहले समाप्त नहीं कर दिया जाता है।

3. ब्याज:

a. ऋण राशि पर लगने वाले ब्याज की दर के बारे में अनुसूची में बता दिया जाएगा और उधारकर्ता को ऋण की संवितरण तिथि से इसका (ब्याज) भुगतान करना होगा।

b. अनुसूची में बताए गए ब्याज का परिमाण, ऋण अवधि के दौरान स्थिर रहेगा। हालांकि, कंपनी को अपने विवेक के आधार पर, इस ऋण समझौते के जारी रहने के दौरान, ऋण पर लगने वाले ब्याज दर को समय-समय पर बढ़ाने या घटाने का अधिकार होगा। इस प्रकार के परिवर्तन, स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार किए जाएंगे और उधारदाता को इनके बारे में 7 (सात) दिन पहले ही बता दिया जाएगा और ये उधारदाता और गारंटर दोनों पर बाध्यकारी होंगे।

c. ब्याज रोजमर्रा के हिसाब से जुड़ता या बढ़ता रहेगा और इसका हिसाब हर महीने या गुजर चुके दिनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

d. इस ऋण समझौते के तहत उधार लेना एक वाणिज्यिक लेनदेन है और उधारकर्ता/गारंटर, ब्याज वसूलने से जुड़े सूदखोरी या अन्य कानूनों के तहत किसी भी बचाव का उपयोग नहीं करेगा।

e. ब्याज की गणना - किस्त में मूलधन और ब्याज शामिल होता है, जिसकी गणना, इस समझौते की अनुसूची में उल्लिखित ब्याज दर के आधार पर की जाती है और इसे हर महीने बचने वाली शेष राशि पर निकटतम पूर्णांक में लिया जाता है।

4. प्रशासन एवं प्रोसेसिंग शुल्क:

उधारकर्ता ने, बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के, कंपनी को ऋण की प्रोसेसिंग और स्वीकृति से संबंधित सभी शुल्कों का भुगतान करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है, जैसा कि इस समझौते की अनुसूची में बताया गया है, जैसा कि कंपनी को अपना आवेदन देते समय उधारकर्ता ने सहमति व्यक्त की थी। किसी भी परिस्थिति में उधारकर्ता को प्रशासनिक एवं प्रोसेसिंग शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा, भले ही ऋण स्वीकृत होने के बाद ऋण न लिया गया हो या कंपनी द्वारा ऋण न दिया गया हो।

5. संवितरण:

a. उधारकर्ता को अपनी इच्छा के बारे में बताना होगा कि कंपनी द्वारा उसे ऋण का संवितरण किस तरह किया जाए। हालांकि, संवितरण का तरीका निर्धारित करने का एकमात्र विवेकाधिकार कंपनी के पास ही होगा, जिसे इस ऋण समझौते के तहत उधारकर्ता को किए जाने वाले संवितरण का तरीका माना जाएगा। उधारकर्ता की ओर से किसी अन्य पक्ष को किए गए ऐसे सभी संवितरणों को, उधारकर्ता को ही किया गया भुगतान माना जाएगा, जैसा कि उधारकर्ता यहाँ इस बात को स्वीकार भी करता है।

b. इस ऋण समझौते के अनुसार कंपनी द्वारा उधारकर्ता को किए जाने वाले संवितरण, एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से या कंपनी के एकमात्र विवेक पर लागू होने योग्य कानून के तहत अनुमत धन हस्तांतरण के अन्य स्वीकृत तरीकों से किए जाएंगे।

c. उधारकर्ता यहाँ इसमें इस बात से सहमत है कि संवितरण तिथि वह तारीख होगी जिस दिन कंपनी, एनईएफटी/आरटीजीएस/इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के किसी अन्य तरीके से सीधे उधारकर्ता के बैंक खाते में धनराशि जमा करेगी। ("संवितरण तिथि")

d. उधारकर्ता को ऋण रद्द करने या संवितरण को स्वीकार करने से इनकार करने का अधिकार नहीं होगा।

6. बीमा:

उधारकर्ता के अनुरोध पर, कंपनी अपने विवेक के आधार पर, उधारकर्ता को विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने वाली बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भी भर सकती है, जिसमें व्यक्तिगत दुर्घटना, अचानक अस्पताल में भर्ती, कंपनी को दी जाने वाली बकाया देय राशि और/या गंभीर बीमारी जैसे जोखिम शामिल हैं, बशर्ते कि ऐसी बीमा पॉलिसी को कंपनी द्वारा उधारकर्ता की ओर से किसी ऐसी बीमा कंपनी से ली गई हो जिसे कंपनी द्वारा अनुमोदित किया गया हो जहाँ उधारकर्ता ने ऐसी बीमा कंपनी को यह विशिष्ट निर्देश और प्राधिकार दिया हो कि किसी तरह का कोई नुकसान होने पर, ऐसी बीमा कंपनी द्वारा कंपनी को उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। उधारकर्ता यहाँ इसके माध्यम से, अपरिवर्तनीय रूप से कंपनी को इस ऋण समझौते के तहत देय और भुगतान योग्य राशि वसूलने के लिए उसकी ओर से बीमा राशि का दावा करने का अधिकार देता है। उधारकर्ता की ओर से कंपनी द्वारा दिए गए बीमा प्रीमियम को, यहाँ दिए जाने वाले ऋण में, मूल राशि के रूप में जोड़ा जाएगा और वह

भी इस ऋण का हिस्सा होगा। ऋण का एक हिस्सा होने के नाते बीमा प्रीमियम का संवितरण कंपनी द्वारा सीधे, कंपनी द्वारा मंजूर की गई बीमा कंपनी को किया जा सकता है और ऐसे संवितरण को उधारकर्ता को किया गया संवितरण माना जाएगा।

यदि उधारकर्ता ने एक बीमा कवर ले रखा है और वह कंपनी द्वारा ली गई 'सामूहिक बीमा पॉलिसी' का एक सदस्य है, तो कंपनी के पास, बकाया राशि वसूलने के लिए उस बीमा राशि के लिए दावा करने का अधिकार होगा। उस बीमा राशि में से बकाया राशि वसूलने के बाद कोई धनराशि बचने पर, उसे उधारकर्ता को दे दिया जाएगा। बीमा राशि कम पड़ने पर, उधारकर्ता को ही उस कमी को पूरा करना होगा।

7. पुनर्भुगतान:

a. उधारकर्ता को देय तिथियों पर कंपनी को, बिना किसी देरी या चूक के, सभी किस्तों और शुल्कों का भुगतान करना होगा। उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि पुनर्भुगतान अनुसूची का कड़ाई से पालन करना, ऋण प्रदान करने की एक आवश्यक शर्त है और यही इस समझौते का मुख्य अंश भी है।

b. उधारकर्ता को अनुसूची में बताई गई शर्तों के अनुसार किस्तें चुकानी होंगी। यहाँ नीचे जिस पुनर्भुगतान अनुसूची का उल्लेख किया गया है वह कंपनी के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है, और इस ऋण का पुनर्भुगतान, इस ऋण समझौते के तहत मांग किए जाने पर, ब्याज और अन्य बकाया राशि के साथ करना होगा। इसके अलावा, किस्तों की गणना/निर्धारण, किस्तों के परिमाण की पुनः गणना करने से संबंधित कंपनी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा, जिसमें वह मामला भी शामिल है जब किसी चरण में यह पता चलता है कि किस्तों की गणना गलत तरीके से की गई है। हालांकि, अनुसूची में दी गई किस्तें, कंपनी के उस अधिकार को प्रभावित नहीं करेंगी जिसके तहत वह उचित समझे जाने पर इस ऋण समझौते को कभी भी समाप्त कर सकती है, और सभी देय राशियों और बकाया राशियों के साथ-साथ सभी भावी किस्तों और अन्य देय राशियों के भुगतान की मांग कर सकती है जहाँ वह भावी किस्तों पर कोई छूट भी दे सकती है।

c. उधारकर्ता को, सभी देय राशियों को, बिना किसी कटौती के, देय तिथियों पर या उससे पहले कंपनी को चुका देनी होगी।

d. हालांकि, दंडात्मक शुल्क लगने से उधारकर्ताओं को पुनर्भुगतान अनुसूची का कड़ाई से पालन करने की जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं मिलेगा क्योंकि यह ऋण प्रदान करने की एक आवश्यक शर्त है।

e. उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि उसने कंपनी द्वारा किस्तों की गणना करने के तरीके के साथ-साथ उसमें शामिल मूलधन और ब्याज की हिस्सेदारी को भी पढ़ और समझ लिया है जिनसे वह सहमत भी है।

f. यदि देय तिथि, छुट्टी के दिन पड़ती है तो किस्तों का भुगतान, उस देय तिथि के पिछले कामकाजी दिन को करना होगा।

g. उधारकर्ता द्वारा देय तिथि से पहले किए गए अग्रिम भुगतान को उधारकर्ता के ऋण खाते में जमा कर दिया जाएगा चाहे वह अग्रिम भुगतान किसी भी कारण से किया गया हो। क़िस्त के रूप में मिलने वाली अग्रिम राशि को देय तिथियों पर किए जाने वाले भुगतानों के साथ ही समायोजित किया जाएगा। इस तरह मिलने वाले अग्रिम भुगतान के लिए ब्याज में कोई छूट नहीं मिलेगी।

h. उधारकर्ता चाहे तो इस ऋण समझौते के अनुच्छेद 15 के अनुसार प्रीक्लोजर या पूर्व-भुगतान के माध्यम से ऋण चुकाने का विकल्प चुन सकता है।

i. यदि उधारकर्ता इस समझौते के तहत देय तिथियों पर या उससे पहले किस्तों और शुल्कों (यदि कोई हो) नहीं कर पाता है, तो कंपनी, उस देय तिथि के अंत में, भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) के लागू होने योग्य दिशानिर्देशों के अनुसार, इस सुविधा को स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी विशेष उल्लेख खाता (एसएमए)/नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट यानी गैर निष्पादित खाता (एनपीए) या इसी तरह की अन्य श्रेणी के तहत वर्गीकृत करेगी। एसएमएऔर एनपीए श्रेणियों के वर्गीकरण का आधार और उसके उदाहरण के बारे में अनुसूची में बता दिया गया है।

8. किस्तों का भुगतान करने का तरीका:

a. यहाँ इसके तहत दिए गए नियमों और शर्तों के आधार पर, ऋण का पुनर्भुगतान, स्थायी अनुदेशों, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) या एसीएच/ई-एनएसीएच या कंपनी द्वारा समय-समय पर स्वीकार किए जाने वाले इस तरह के अन्य तरीकों के माध्यम से किया जाएगा, जो कंपनी को उधारकर्ता के बैंक खाते में डायरेक्ट डेबिट के माध्यम से देय किस्तों को संग्रह करने का अधिकार देता है।

b. उधारकर्ता को किस्तों के भुगतान के लिए कंपनी को ईसीएस या एसीएच/ई-एनएसीएच अधिदेश प्रदान करना होगा। ऐसे अधिदेश प्रदान करने की बात को, उधारकर्ता द्वारा कंपनी को ऐसे अधिदेश प्रदान करने का बेशर्त और अपरिवर्तनीय अधिकार माना जाएगा, ताकि ऐसे अधिदेशों को संबंधित तिथियों पर प्रस्तुत किया जा सके और उधारकर्ता इस बात का आश्वासन देता है कि ईसीएस/एसीएच/ई-एनएसीएच अधिदेशों को प्रस्तुत किए जाने पर उनका आदर किया जाएगा। किसी भी कारण से एसीएच/ई-एनएसीएच या ईसीएस अधिदेश प्रस्तुत न कर पाने पर, उधारकर्ता की किस्तों, या इस ऋण समझौते के तहत देय हो सकने वाली किसी अन्य राशि का भुगतान करने की देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

c. यदि अनुच्छेद 8(a) के अनुसार उधारकर्ता द्वारा दिए गए ईसीएस/एसीएच/ई-एनएसीएच अधिदेशों में से कोई एक अधिदेश या उससे अधिक अधिदेश या सभी अधिदेश

(i.) कंपनी के संरक्षण में रहने के दौरान खो जाता/जाते है/हैं, नष्ट हो जाता/जाते है/हैं या गलत स्थान पर रख दिया जाता है/रख दिए जाते हैं या

(ii.) इस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता या किसी या उससे अधिक हस्ताक्षरकर्ताओं (यदि एक से अधिक हों) की मृत्यु, दिवालियापन, पागलपन, प्राधिकार की समाप्ति के कारण या किसी अन्य कारण से, या आहर्ता बैंक के दिवालिया होने या उस पर कोई पाबंदी लगने के कारण, उन्हें भुनाया नहीं जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता, कंपनी से ऐसे नुकसान, विनाश या गलत स्थान पर रखने (जैसा भी मामला हो) की सूचना प्राप्त होने पर या ऊपर वर्णित कारणों से कथित चेकों या उनमें से किसी चेक को भुनाए न जा सकने की स्थिति में, कंपनी को तुरंत उतने चेक सौंपेगा, जितने उन खोए, नष्ट, गलत स्थान पर रखे गए या न भुनाए जा सकने वाले चेकों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त होंगे, या ऋण को चुकाने के लिए ऐसी कोई उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करेगा जो कंपनी को स्वीकार्य और मंजूर होगी।

d. उधारकर्ता ने यह सहमति दी है और यह समझ लिया है कि किसी भी कारण से कंपनी द्वारा कोई चेक/अधिदेश प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में, उधारकर्ता द्वारा इस ऋण समझौते के तहत देय राशि को चुकाने की देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी कारण से किसी भी चेक/अधिदेश (जो उधारकर्ता द्वारा कंपनी को पहले ही दिया जा चुका है या दिया जाएगा) को भुनाने में देरी, चूक या लापरवाही, क्षति या नुकसान के लिए किसी भी तरह से कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।

e. जरूरत पड़ने पर, उधारकर्ता, कंपनी की अनुमति से, एक बैंक में जारी किए गए और काटे गए चेक/अधिदेश को दूसरे बैंक में जारी किए गए और काटे गए चेक/अधिदेश के साथ अदल-बदल सकता है, और इसके लिए उसे कंपनी को प्रत्येक फेरबदल के लिए अनुसूची में बताए गए परिमाण में स्वैप शुल्क देना होगा।

f. इस ऋण समझौते और/या प्रचलित कानून के तहत कंपनी को मिल सकने वाले अन्य अधिकारों या उपायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता को प्रत्येक चेक/अधिदेश की प्रस्तुति पर उनका अनादर किए जाने की स्थिति में, अनुसूची में बताई गई दर से चेक/अधिदेश अनादर शुल्क देना होगा। चेक/अधिदेश के अनादर पर शुल्क लगने के कारण, /भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 या समय-समय पर संशोधित और लागू होने वाले अन्य कानून तथा अन्य संबंधित क़ानून के तहत कंपनी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

g. जहां पैसा भेजने के काम, बाहरी चेकों के माध्यम से किया जाता है, वहां उधारकर्ता को अनुसूची में उल्लिखित चेक संग्रहण शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसमें समय-समय पर कंपनी के विवेक के आधार पर संशोधन किया जा सकता है।

h. अनुसूची में उल्लिखित शुल्कों में, कंपनी के एकमात्र विवेक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

i. उधारकर्ता को ईसीएस या एसीएच/ई-एनएसीएच अधिदेशों से संबंधित भुगतान को रोकने के निर्देशों को रद्द करने या जारी करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि ऋण या उसके ऋण का कोई हिस्सा बाकी रहेगा और ऐसे कृत्यों को धोखाधड़ी करने और परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881/भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 या समय-समय पर संशोधित और लागू होने वाले अन्य कानून के तहत अभियोजन से बचने के इरादे से किया गया कृत्य माना जाएगा और कंपनी को उधारकर्ता के खिलाफ उचित आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार होगा।

j. उधारकर्ता यह समझता है, इसकी पुष्टि करता है और इस बात से सहमत है कि कंपनी, अपने एकमात्र विवेक के आधार पर, अनेक अवसरों पर और विभिन्न तिथियों पर, उधारकर्ता के बैंक खाते में ईसीएस/एसीएच या ई-एनएसीएच अधिदेश या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य क्लियरिंग अधिदेश (उधारकर्ता द्वारा कंपनी के पक्ष में दिया गया अधिदेश जिसमें सभी बकाया देयताएं शामिल हैं) को प्रस्तुत करेगी जो बिना भुगतान के वापस आई होगी ताकि उधारकर्ता से बकाया देयताओं की वसूली की जा सके और ऐसा वह तब तक करेगी जब तक संपूर्ण बकाया देयताओं की वसूली नहीं हो जाती। उधारकर्ता इस बात से सहमत है और यह वचन देता है कि वह कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसी प्रस्तुतियों पर विवाद, शिकायत या आपत्ति नहीं करेगा।

9. किस्तों में होने वाला परिवर्तन और उनका पुनर्निर्धारण:

a. कंपनी अपने एकमात्र विवेक के आधार पर, बिना किसी दायित्व के, उचित लगने वाले नियमों और शर्तों पर, इस तरह की अतिरिक्त अवधि के लिए ऋण की समीक्षा करने का अधिकार रखती है।

b. कंपनी, खुद या उधारकर्ता के अनुरोध पर, उचित लगने पर, उधारकर्ता की औपचारिक सहमति से, किस्तों को ऐसे तरीके से और उस सीमा तक परिवर्तित या पुनः निर्धारित कर सकती है जिस तरीके से और जिस सीमा तक वह उन्हें परिवर्तित या पुनः निर्धारित करने का फैसला करेगी, जिसके बाद उधारकर्ता को, अनुसूची में कोई और बात कही गई होने के बावजूद, इस परिवर्तन और पुनः निर्धारण के अनुसार पुनर्भुगतान करना होगा। उधारकर्ता को संशोधित संरचना के अनुसार ईसीएस या एसीएच/ई-एनएसीएच अधिदेश प्रदान करने के साथ-साथ संशोधन की आवश्यकता शर्तों का भी पालन करना होगा।

c. उधारकर्ता के संतोषजनक ऋण पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी, अपने एकमात्र विवेक के आधार पर, यहाँ इस समझौते के तहत दिए गए ऋण के अलावा कोई अतिरिक्त ऋण भी दे सकती है। ये अतिरिक्त ऋण, कंपनी द्वारा समय-समय पर कंपनी के प्रचलित ऋण मानदंडों के अनुसार निर्धारित किए जा सकने वाले दस्तावेजों के आधार पर दिए जा सकते हैं। उधारकर्ता को इस धारा के आधार पर अतिरिक्त ऋण प्रदान करने का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

10. चूक की घटनाएं:

निम्नलिखित घटनाओं को "चूक की घटना" माना जाएगा: -

a. उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा यहाँ इस समझौते में बताए गए तरीके से अपने दायित्वों का पालन न करने, कंपनी द्वारा मांगे या न मांगे जाने पर भी, कंपनी को चुकाए जाने वाले ऋण या किस्त, शुल्क, प्रभार, या लागत या किसी अन्य राशि का भुगतान न करने की घटना; या

b. कंपनी की राय में, उधारकर्ता द्वारा ऋण के संबंध में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने की घटना; या

c. दिवालियापन, दिवालिया होने की कोई कार्रवाई, उधारकर्ता/गारंटर के लेनदारों के लाभ के लिए सामान्य हस्तांतरण, या यदि उधारकर्ता/गारंटर किसी लेनदार को भुगतान रोक देता है या ऐसा करने की धमकी देता है, उसकी संपत्ति पर दिवालियापन पेशेवर, रिसीवर/ट्रस्टी या इसी प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति, उधारकर्ता/गारंटर के विरुद्ध या उसके द्वारा दिवालियापन याचिका की स्वीकृति; या

d. उधारकर्ता/गारंटर द्वारा अपना व्यवसाय बंद कर दिए जाने या बंद करने की धमकी दिए जाने की घटना; या

e. कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए लेखाकार या लेखाकारों के फर्म (जैसा कि कंपनी को किसी भी समय ऐसा करने का हक़ और अधिकार है) द्वारा यह प्रमाणित किए जाने की घटना कि उधारकर्ता की देनदारियां, उधारकर्ता की परिसंपत्तियों से अधिक हैं या उधारकर्ता, घाटे में व्यवसाय कर रहा है; या

f. Aउधारकर्ता द्वारा कंपनी को इस समझौते के नियमों व शर्तों के तहत दिए गए या दिए जाने वाले एसीएच/ई-एनएसीएच या ईसीएस अधिदेश को प्रस्तुत किए जाने पर किसी कारण से उन अधिदेशों का आदर/नकदीकरण न किए जाने की घटना; या

g. ।उधारकर्ता द्वारा किसी कारण से किसी अधिदेश का भुगतान बंद करने का निर्देश दिए जाने या उधारकर्ता द्वारा कंपनी को जारी किए गए अधिदेश का अनादर किए जाने की घटना; या

h. उधारकर्ता/गारंटर द्वारा इस समझौते के किसी भी नियम, क़ानून या शर्त या का उल्लंघन किए जाने या इस ऋण समझौते के तहत दी गई किसी भी जानकारी या अभ्यावेदन या अन्य दस्तावेज के झूठा, गलत या भ्रामक पाए जाने की घटना; या

i. उधारकर्ता के मरने/पागल होने या कानूनी रूप से अक्षम होने की घटना या

j. उधारकर्ता/गारंटर द्वारा किसी अन्य ऋण/सुविधा, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी समझौते का उल्लंघन किए जाने की घटना; या

k. उधारकर्ता/गारंटर द्वारा कंपनी के साथ किसी अन्य समझौते के तहत कोई चूक किए जाने की घटना जिसमें या तो उधारकर्ता एक गारंटर है या गारंटर एक उधारकर्ता; या

l. उधारकर्ता द्वारा इस ऋण समझौते या इससे जुड़े किसी अन्य दस्तावेज के तहत अपने किसी दायित्व को पूरा करना गैरकानूनी हो जाने, या गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति (जिसमें उधारकर्ता भी शामिल हो सकता है) द्वारा इस ऋण समझौते के तहत अपने किसी दायित्व को पूरा करना गैरकानूनी हो जाने की घटना; या

m. उधारकर्ता/गारंटर द्वारा इस ऋण समझौते या इससे जुड़े किसी अन्य दस्तावेज़ को अस्वीकार किए जाने या अस्वीकार किए जाने का इरादा दिखाई देने की घटना; या

n. ऋण या उसके किसी हिस्से को उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने की घटना जिस उद्देश्य के लिए उधारकर्ता ने इस ऋण के लिए आवेदन किया था और कंपनी ने उस ऋण आवेदन को स्वीकार किया था; या

o. कोई ऐसी घटना या कई घटनाएं घटित होने की घटना, जिससे कंपनी की राय में, उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो; या

p. उधारकर्ता/गारंटर की स्थिति, निवासी से अनिवासी में बदल जाने की घटना; या

q. उधारकर्ता/गारंटर के खिलाफ कोई कुर्की, संकट, दंड या अन्य प्रक्रिया लागू किए जाने या ऐसा कोई आरोप लगाए जाने की घटना; या

r. उधारकर्ता या गारंटर पर किसी न्यायालय या सरकारी प्राधिकरण द्वारा किसी अपराध का आरोप लगाए जाने या दोषी ठहराए जाने की घटना; या

s. कंपनी या उसके सहयोगियों के साथ किए गए इस या किसी अन्य समझौते के तहत किसी भी शर्त पर उधारकर्ता/गारंटर द्वारा विवाद किए जाने की घटना; या

t. यदि कोई चूक की घटना या कोई ऐसी घटना घटती है जो चूक की घटना मानी जाएगी, तो उधारकर्ता को कंपनी को 3 (तीन) दिनों के भीतर इसकी लिखित सूचना या नोटिस देनी होगी जिसमें ऐसी चूक की घटना के घटित होने का विवरण भी देना होगा। उधारकर्ता/गारंटर को कंपनी अधिनियम 2013 या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत वाइंडिंग अप या काम-धंधे को समेटने का कोई वैधानिक नोटिस मिलने पर या ऐसी कोई नोटिस मिलने के 3 (तीन) दिनों के भीतर उधारकर्ता/गारंटर के खिलाफ कोई मुकदमा दायर किए जाने पर या कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू किए जाने पर, उधारकर्ता/गारंटर को इसके बारे में कंपनी को तुरंत सूचित करना होगा; या

u. उपरोक्त घटनाओं/परिस्थितियों में से कोई घटना घटित हुई है, इस मामले में कंपनी का निर्णय, उधारकर्ता/गारंटर के लिए अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी निर्णय होगा।

v. गारंटर/गारंटरों द्वारा दी गई गारंटी में कोई गलती/खराबी दिखाई देने पर गारंटी, अप्रभावी/निष्क्रिय हो जाएगी।

11. समाप्ति और कंपनी के अन्य अधिकार:

(a)

1. नोटिस: पुनर्भुगतान में चूक सहित चूक की उपरोक्त किसी भी घटना के घटित होने पर, कंपनी, उधारकर्ता/गारंटर को कंपनी के साथ पंजीकृत किए गए उसके पते पर 7 दिन का नोटिस भेजेगी और ऋण सुविधा के तहत भुगतान योग्य संपूर्ण राशि का भुगतान करके ऋण का पूरी तरह निपटान करने की मांग करेगी। ऐसा माना जाएगा कि उधारकर्ता/गारंटर को वह नोटिस उस नोटिस को पोस्ट करने की तारीख के बाद दूसरे कार्य दिवस को मिली है या जिस तारीख को वह नोटिस उसे असल में प्राप्त हुई है, इनमें से जो भी पहले होगा उसे ही वह नोटिस दी जाने की बात मानी जाएगी, भले ही वह नोटिस किसी कारण से उसे न मिल पाई हो और वह वापस आ गई हो, और उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस दिए जाने के सम्बन्ध में कंपनी के किसी प्राधिकृत अधिकारी की पुष्टि को इस संबंध में अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा।

2. नोटिस संबंधी परित्याग: इस ऋण समझौते में इसके विपरीत कोई बात कही गई होने के बावजूद, अनुच्छेद 10 (c), (i), (l), , (n), (q), और (r) में बताई गई चूक की घटनाओं में से कोई भी घटना के घटने पर, कंपनी के विवेक के आधार पर यहां ऊपर उल्लिखित नोटिस को परित्याग किया जा सकता है।

(b) टर्मिनेशन या समाप्ति:

कंपनी द्वारा ऋण समझौते की समाप्ति पर:

1. उधारकर्ता और गारंटर को किस्तों के माध्यम से उन सभी राशियों का भुगतान करने का लाभ नहीं मिलेगा जो उस समय तत्काल देय होंगी, और जो पहले से बकाया होंगी, जैसे बाकी की किस्तें, दंडात्मक शुल्क या किसी अन्य कारण से लगने वाला कोई अन्य शुल्क।

2. उधारकर्ता को अधिदेश अनादर शुल्क, अनुसूची में उल्लिखित दर से दंडात्मक शुल्क, जिसकी गणना, इस समझौते की समाप्ति की तारीख से लेकर पूरा भुगतान मिलने तक की जाएगी, तथा अन्य शुल्कों का भुगतान करना होगा।

3. ऋण के लंबित रहने के दौरान लागू होने योग्य कानून के तहत कंपनी अपने पास मौजूद इस तरह के अन्य अधिकारों और उपायों का प्रयोग करेगी, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 25, इत्यादि के तहत लागू होने योग्य कानून भी शामिल हैं।

(c) कंपनी के अन्य अधिकार:

1. बकाया राशि की वसूली के लिए कोई कानूनी कार्यवाही शुरू करने से संबंधित कंपनी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता और गारंटर, स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि कंपनी को उचित लगने पर इसके लिए तीसरे पक्ष को नियुक्त करने का अधिकार होगा, और इस तरह के तीसरे पक्ष, उधारकर्ता की पूर्व सहमति के बिना, इस ऋण समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें उधारकर्ता से बकाया राशि प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है।

2. इस ऋण समझौते में कहीं और कोई अन्य बात कही गई होने के बावजूद, इस तरह की समाप्ति या टर्मिनेशन के बाद ऋण को कंपनी के एकमात्र और पूर्ण विवेक के आधार पर जारी रखा जा सकता है और उधारकर्ता को कंपनी द्वारा कहे गए समय पर बकाया राशि का

भुगतान करना होगा। कंपनी, अपने एकमात्र विवेक के आधार पर और कोई कारण बताए बिना, उधारकर्ता को किसी भी समय बकाया राशि चुकाने के लिए कह सकती है और ऐसा कहे जाने पर, उधारकर्ता को, बिना किसी देरी के, अपनी बकाया राशि का पूरी तरह भुगतान कर देना होगा। उधारकर्ता के लिए देय बताई गई बकाया राशि, उधारकर्ता के लिए अंतिम और बाध्यकारी बकाया राशि होगी।

3. उधारकर्ता के ऋण और/या अन्य वित्तीय लेनदेन के संबंध में किसी गलत कार्य या धोखाधड़ी का संदेह या संकेत मिलने पर, कंपनी को उधारकर्ता की लागत और खर्च पर अपने कर्मचारियों, एजेंटों के माध्यम से अपना लेखा-परीक्षण करने और/या कंपनी की पसंद के बाहरी लेखा परीक्षकों/लेखाकारों के माध्यम से बाहरी लेखा-परीक्षण करने का अधिकार होगा। उधारकर्ता, कंपनी के कर्मचारियों, एजेंटों, लेखाकारों/लेख-परीक्षकों को अपने कार्यालयों/परिसरों और उनके सभी रिकॉर्ड्स का एक्सेस प्रदान करेगा और उस लेखा-परीक्षण के लिए उनकी जरूरत की सारी जानकारी/रिकॉर्ड्स भी प्रदान करेगा। कंपनी को उसके कर्मचारियों, एजेंटों, और/या बाहरी लेखा-परीक्षकों/लेखाकारों से मिलने वाली लेखा-परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर या कंपनी के पास मौजूद संबंधित सामग्रियों/रिकॉर्ड्स के आधार पर और प्रदान किए गए लेखा-परीक्षण रिपोर्ट के अनिर्णायक रहने पर या उधारकर्ता के असहयोग के कारण विलंबित हो जाने पर कंपनी द्वारा खुद की गई जांच या आंकलन के आधार पर, कंपनी, ऋण खाते की स्थिति को धोखाधड़ी या इसी तरह की अन्य स्थिति में रखेगी। कंपनी, ऋण खाते की स्थिति को धोखाधड़ी या इसी तरह की अन्य स्थिति में रखने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

4. यदि कंपनी में उधारकर्ता के एक से अधिक ऋण खाते कंपनी में हैं, और यदि उधारकर्ता के एक ऋण खाते में कंपनी को धोखाधड़ी का पता चलता है, तो कंपनी को उधारकर्ता/उसकी समूह कंपनी या कंपनियों के अन्य खातों की जांच करने या उनके संबंध में उपरोक्त लेखा-परीक्षण करने का अधिकार होगा, जहाँ उधारकर्ता के एक या उससे अधिक प्रमोटर/पूर्णकालिक निदेशक, एक ही हों।

5. कंपनी को उपयुक्त कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे पुलिस, अन्य संबंधित प्राधिकरणों और/या भारतीय रिजर्व बैंक को उधारकर्ता या उसकी समूह कंपनियों के ऋण खातों में धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्ट करने का भी अधिकार होगा।

12. विनियोजन:

(a) कंपनी को ऐसे किसी भी भुगतान को विनियोजित करने का अधिकार होगा जो इस ऋण समझौते के तहत देय और भुगतान योग्य होगा और जिसे निम्नलिखित के मामले में, कंपनी को उचित लगने वाले क्रम में, बकाया राशि के लिए उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा:

1. देय मूलधन का पुनर्भुगतान।

2. ब्याज।

3. दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो।

4. लागत, शुल्क, खर्च और अन्य पैसों पर लगने वाला ब्याज।

5. लागत, शुल्क, खर्च और अन्य देय राशियाँ।

इस समझौते में दोनों पक्षों के बीच विशेष रूप से यह सहमति व्यक्त की गई है कि यदि उधारकर्ता/गारंटर ने इस ऋण समझौते के अलावा, अपने नाम से या अपने नामित व्यक्तियों या प्रतिनिधियों के नाम से, उधारकर्ता/किराएदार/पट्टेदार या गारंटर के रूप में, कंपनी से पहले से ही कोई अन्य ऋण लिया है या कोई अन्य समझौता किया है या भविष्य में लेता या करता है, तो:

(b) इस ऋण समझौते के तहत उधारकर्ता/गारंटर या उसके/उनके नामित व्यक्तियों, प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने वाले भुगतान को सिर्फ "खाते में भुगतान" माना जाएगा और कंपनी उसे अपने विवेक के आधार पर, उचित लगने पर, उधारकर्ता, उसके/उनके नामित व्यक्तियों या प्रतिनिधियों द्वारा कंपनी के साथ किए गए समझौते वाले खाते में विनियोजित करेगी, चाहे वह भुगतान उस ऋण खाते के कार्यकाल के दौरान किया गया हो या उसके बाद, चाहे इसके विपरीत कोई अन्य विशिष्ट निर्देश दिया गया हो तब भी।

13. उधारकर्ता और गारंटर की प्रतिज्ञाएँ और प्रतिनिधित्व:

उधारकर्ता और गारंटर, यहाँ इसके माध्यम से कंपनी के सामने निम्नलिखित बातों की पुष्टि, वचन और घोषणा करते हैं

a. उधारकर्ता और गारंटर, भारत के नागरिक हैं जो आम तौर पर भारत में ही रहते हैं और इस ऋण की अवधि के दौरान भी भारत में ही रहेंगे।

b. उधारकर्ता/गारंटर के पास यह ऋण समझौता करने और उसे लागू करने के लिए पर्याप्त कानूनी क्षमता है। उधारकर्ता/गारंटर को किसी भी कानून, विधान, निर्णय, डिक्री, शासन, अनुबंध या अन्य किसी भी प्रकार से इस ऋण समझौते में बताए गए तरीके से दायित्वों को ग्रहण और पूरा करने से किसी भी तरह प्रतिबंधित या रोका नहीं गया है। इस समझौते के लागू हो जाने के बाद, यह उधारकर्ता/गारंटर के लिए एक वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता बन जाएगी जिसे इस ऋण समझौते के अनुसार उनके खिलाफ उपयोग किया जा सकता है।

c. इस ऋण समझौते को किसी भी कानून/संवैधानिक दस्तावेज या किसी अन्य दस्तावेज के साथ विरोधाभास में लागू नहीं किया गया है जो उधारकर्ता/गारंटर पर बाध्यकारी है।

d. उधारकर्ता/गारंटर ने इस ऋण समझौते के संबंध में आवश्यक सभी प्राधिकरणों, अनुमोदनों, सहमतियों, लाइसेंसों और अनुमतियों को प्राप्त कर लिया है और उन्हें पूरी तरह लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्य कर लिए हैं।

e. कंपनी या उसके किसी अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भेजे जाने वाले सभी लेखा विवरण, उधारकर्ता और गारंटर को स्वीकार्य हैं, जो उधारकर्ता से मिलने वाली बकाया राशि की सटीकता का प्रमाण माना जाएगा।

f. कोई भी पत्र, उधारकर्ता/गारंटर द्वारा दिए गए पते पर भेजा जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि उसे भेजे जाने की तारीख से 2 दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता को मिल गया है और उधारकर्ता एवं गारंटर के पते में कोई परिवर्तन होने पर, उन्हें इसकी सूचना तुरंत कंपनी को देनी होगी, वर्ना ऐसा माना जाएगा कि उनके द्वारा अंतिम बार दिए गए पते पर भेजी गई नोटिस या पत्र उन्हें मिल गया है।

g. कंपनी को इस ऋण समझौते के तहत कंपनी के अधिकार और दायित्वों को कंपनी की पसंद के व्यक्ति (व्यक्तियों) को पूरी तरह से या आंशिक रूप से और उधारकर्ता/गारंटर को कोई नोटिस दिए बिना तय किए गए तरीके और/या शर्तों पर बेचने, सौंपने या हस्तांतरित करने का अधिकार होगा, और इस तरह की कोई भी बिक्री, आवंटन या हस्तांतरण, उधारकर्ता/गारंटर के लिए बाध्यकारी होगा और इनके पास इस ऋण समझौते के लाभ या दायित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी और को सौंपने का अधिकार नहीं होगा।

h. उधारकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की ओर से उधार लेने के अधिकारों की अनुपस्थिति या दुर्बलता या उसके प्रयोग में कोई अनियमितता दिखाई देने पर भी, इस ऋण समझौते के तहत उधारकर्ता और गारंटर के खिलाफ कंपनी के अधिकारों पर इन सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

i. उधारकर्ता/गारंटर ने सभी भुगतान योग्य करों और वैधानिक बकाया राशियों का भुगतान कर दिया है और उसे किसी व्यक्ति या प्राधिकारी की तरफ से कोई मांग, दावा या नोटिस नहीं मिला है। इसके अलावा, उधारकर्ता को लेनदेन से संबंधित सभी मौजूदा और भावी करों, मूल्यांकनों, दरों, ड्यूटी, शुल्कों और अन्य इम्पोस्ट, व्ययों और दायित्वों का वहन और भुगतान करना होगा। इसके अलावा, किसी भी दर, शुल्क, इम्पोस्ट, लेवी और/या किसी अन्य धनराशि के कारण किस्तें स्वचालित रूप से बढ़ जाएंगी जिन्हें सरकार द्वारा किस्तों पर या इस समझौते के तहत लेनदेन पर लगाया गया है या लगाया जा सकता है या जिन्हें इस ऋण समझौते को करने के कारण कंपनी को देना पड़ता है या देना पड़ सकता है।

j. यह आश्वासन देता है कि उधारकर्ता/गारंटर के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा, कार्रवाई या दावा (सिविल या आपराधिक या इसी तरह का कोई और) लंबित नहीं है या ऐसा कुछ किए जाने की संभावना नहीं है।

k. यह आश्वासन देता है कि कराधान या किसी अन्य मामले से संबंधित किसी भी कानून के मामले में उधारकर्ता/गारंटर के अधिकारों या स्थिति से संबंधित किसी भी दावे के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।

l. पूरे ऋण का उपयोग केवल ऋण आवेदन और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा और इसका उपयोग अवैध/असामाजिक गतिविधियों तथा सट्टेबाज़ी के उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, जिसमें पूंजी बाज़ार में निवेश (जिसमें शेयर, बॉन्ड और अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां शामिल हैं) या कार्यशील पूंजी/रियल एस्टेट या सोने की किसी भी रूप में खरीद (प्राथमिक सोना, सोने की ईंटें, सोने के आभूषण/सिक्के, कीमती पत्थर/धातुएं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) की इकाइयां और सोने के म्यूचुअल फंड की इकाइयां) शामिल हैं। कंपनी, ऐसा करने के लिए बाध्य न होते हुए भी, ऋण के अंतिम उपयोग की निगरानी करने का अधिकार रखती है, जिसमें कंपनी द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर नियुक्त किसी भी ऑडिटर या सलाहकार के माध्यम से आवश्यक प्रमाणपत्र सहित, और इसका खर्च उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

m. अन्य बैंकों, या वित्तीय संस्थानों से कोई भी राशि उधार लेने से पहले उद्धारकर्ता को कंपनी की पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी।

n. कंपनी को दिए जाने वाले बकाया भुगतानों को संग्रह करने या संग्रह करने का प्रयास करने में कंपनी द्वारा किए जाने वाले खर्च का भुगतान भी उद्धारकर्ता को ही करना होगा, जिसमें डाक, तार, टेलेक्स, पंजीकृत डाक, टेलीफोन कॉल, कानूनी कार्यवाही और संग्रह करने के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों के अतिरिक्त खर्च जैसे खर्च शामिल हैं।

o. उधारकर्ता द्वारा दिए गए सभी विवरण, अभ्यावेदन, घोषणाएं और सूचनाएं सत्य, सटीक, सम्पूर्ण, और अपटूडेट होने के साथ-साथ हर तरह से वैध और विद्यमान हैं तथा कोई भी जानकारी नहीं छिपाई गई है। उधारकर्ता, जरूरत पड़ने पर, आवश्यक अपडेट प्रदान करेगा। कंपनी को उधारकर्ता के खिलाफ शुरू की गई मुकदमेबाजी, मध्यस्थता, प्रशासनिक या अन्य कार्यवाही की तुरंत जानकारी देगा।

p. उधारकर्ता को कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले नियमों का पालन करना होगा तथा उनसे बंधे रहना होगा।

q. उधारकर्ता/गारंटर के सभी संबंधित खातों पर कंपनी का ग्रहणाधिकार होता है, जिसमें ऐसे अन्य खाते भी शामिल हैं जिन्हें बाद में दर्ज किया जा सकता है/जो उधारकर्ता/गारंटर से संबंधित हो सकते हैं (यहाँ इस संबंध में संबंधित खातों का मतलब वे सभी खाते होंगे जहां कंपनी से मिलने वाली वित्तीय सुविधा के तहत उधारकर्ता एक गारंटर है और गारंटर एक उधारकर्ता है)।

r. उधारकर्ता/गारंटर इस बात की पुष्टि करता है कि उसके/उनके परिवार के सदस्य/करीबी रिश्तेदार, भारतीय रिजर्व बैंक के केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार राजनीतिक रूप से संबंधित व्यक्ति नहीं हैं। उधारकर्ता यह भी वचन देता है कि उपरोक्त स्थिति में कोई भी परिवर्तन होने पर वह उसके बारे में कंपनी को तुरंत सूचित करेगा।

s. उधारकर्ता यह भी वचन देता/देती है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा/होगी जो समय-समय पर कंपनी की ऋण नीतियों की बहिष्करण सूची में शामिल है या जो देश के सामाजिक और आर्थिक माहौल को खतरे में डाल सकती हो या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हो।

t. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विनियमों का पालन करते हुए उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा जानबूझकर चूक किए जाने पर उसे जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) इस बात की रिपोर्ट करने और जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ता (जिसमें उधारकर्ता और/या गारंटर के स्वामी/पार्टनर/निदेशक/प्रमोटर, उधारकर्ता और/या गारंटर के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार/प्रभार संभालने वाले लोग भी शामिल हैं, जिन्हें जानबूझकर चूक करने वाला चूककर्ता घोषित किया गया है) के नाम और फोटो को समाचार पत्रों में और/या उचित लगने पर अपने विवेक के आधार पर इस तरह के अन्य माध्यमों में प्रकाशित करने का अधिकार होगा।

'जानबूझकर की गई चूक' और 'जानबूझकर चूक करने वाला चूककर्ता' इन शब्दों का वही मतलब होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं के साथ किया जाने वाला बर्ताव) के दिशानिर्देश 2024 में दिया गया है, जिसे समय-समय पर संशोधित या रद्द किया जा सकता है।

जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ता के वर्गीकरण के संबंध में, उधारकर्ता और गारंटर यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि:

i उधारकर्ता को जानबूझकर चूक करने वाला चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। ऋण या उसके किसी हिस्से का उपयोग सिर्फ उसी उद्देश्य के लिए किया ।यदि कंपनी को उधारकर्ता द्वारा धन के उपयोग के संबंध में उधारकर्ता या उसके लेखा परीक्षकों से किसी विशेष प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो, तो कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह उक्त प्रमाणपत्र उधारकर्ता या उसके लेखा परीक्षकों से प्राप्त करने की मांग कर सके।

14. गारंटर की देयताएं:

a. गारंटर, कंपनी को इस बात की गारंटी देता है कि यदि उधारकर्ता, देय तिथियों पर किस्तों का भुगतान करने में असफल रहता है या इस ऋण समझौते के तहत अपनी किसी देनदारी का भुगतान करने में असफल रहता है, तो गारंटर, कंपनी को यह आश्वासन और वचन देता है कि वह बिना किसी विवाद या आपत्ति के, कंपनी की मांग पर इस तरह की राशि का भुगतान करेगा या करने के लिए खुद को

उत्तरदायी मानेगा। हालांकि, कोई चूक होने पर कंपनी की ओर से पैसे चुकाने की मांग करने में किसी विफलता या देरी के कारण, इस ऋण समझौते के तहत गारंटर को अपनी देयता से मुक्ति नहीं मिलेगी।

b. यहाँ इस ऋण समझौते के तहत गारंटर की देयता, ऋणदाता की देयता के साथ जुड़ी होगी जिसमें सभी बकाया राशियों का भुगतान करना शामिल है जिसमें किस्तें, ब्याज, दंडात्मक शुल्क, प्रभार, शुल्क, लागत और कूई अन्य बकाया राशि भी शामिल है जो इस ऋण समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा कंपनी को दिया जाना है।

c. गारंटर इस बात से सहमत है कि उसकी देयता, एक प्राथमिक उधारकर्ता के समान होगी, न कि सिर्फ एक जमानतदार की, और कंपनी द्वारा उधारकर्ता को कोई सुविधा या समय दिए जाने, या इस ऋण समझौते के तहत ऋण के पुनर्भुगतान या बकाया राशि के भुगतान में कोई रियायत या छूट दिए जाने, या जमानत के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन होने पर भी, गारंटर की गारंटी में कोई फेरबदल नहीं होगा। गारंटर इस बात से भी सहमत है कि दी गई सुविधा, समय या रियायत या छूट को, गारंटर को उचित सूचना देने के बाद और उसकी सहमति से दी गई मानी जाएगी।

d. कंपनी और अन्य गारंटर के बीच कोई अन्य व्यवस्था होने के बावजूद, या गारंटर के दायित्व मुक्त होने के बावजूद, गारंटर से जुड़े कंपनी के अधिकार पूरी तरह से लागू रहेंगे, कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह गारंटर से पहले की तरह अपने दायित्वों का पालन करने के लिए कह सके, जिस तरह वह इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार था।

e. गारंटर यहाँ इसके माध्यम से यह सहमति प्रदान करता है कि उसकी सहमति/सहमति के बिना, उधारकर्ता और कंपनी को, इस ऋण समझौते की शर्तों और नियमों मेर फेरबदल करने, बदलने या संशोधित करने और विशेष रूप से उधारकर्ता द्वारा कंपनी को किए जाने वाले ऋण के पुनर्भुगतान और/या ब्याज और अन्य धनराशि के भुगतान को, कंपनी द्वारा जरूरी समझे जाने वाले नियमों और शर्तों पर, स्थगित करने, टालने या संशोधित करने का अधिकार होगा, जिसमें इस ऋण समझौते के प्रावधानों के अनुसार ब्याज दर में होने वाली वृद्धि भी शामिल है।

f. कंपनी, गारंटर को कोई सूचना दिए बिना और इस गारंटी को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, किसी भी समय और किसी भी तरीके से इस ऋण समझौते के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करके उधारकर्ता से देय किस्तों या अन्य धनराशियों का भुगतान प्राप्त कर सकती है या या उसे रोक सकती है या उधारकर्ता को समय या कोई अन्य छूट या सुविधा दे सकती है, और गारंटर को कंपनी द्वारा ऊपर उल्लिखित मामलों में कंपनी के अधिकारों के प्रयोग के कारण या कंपनी के किसी भी कार्य या चूक के कारण या जमानत संबंधी कानून के तहत गारंटर को मुक्त करने वाले किसी अन्य मामले या चीज के कारण गारंटर को मुक्त नहीं किया जाएगा और गारंटर यहाँ इसके माध्यम से इस गारंटी प्रावधानों को लागू करने के लिए, कंपनी के हित में, अपने सभी जमानत और अन्य अधिकारों का परित्याग करता है।

g. इस गारंटी को गारंटर के खिलाफ लागू किया जा सकता है, भले ही इस गारंटी के आधार पर गारंटर के खिलाफ कोई कार्यवाही किए जाने के दौरान ऋण के भुगतान के लिए कोई जमानत बकाया हो या वसूल न की गई हो या गुम हो गई हो।

h. गारंटर इस बात से सहमत है कि विधिवत तरीके से प्रमाणित की गई, कंपनी के खातों के विवरण की कॉपी, इस ऋण समझौते के तहत देय और भुगतान योग्य राशि के रूप में गारंटर के लिए मान्य होगी।

i. यहाँ इस समझौते के तहत गारंटर की देयता पर उधारकर्ता के दिवालियापन या दिवालियापन के लिए प्रस्तुत, पारित या की गई याचिका या प्रस्ताव या आदेश का या कंपनी या उधारकर्ता के संघटन में होने वाले परिवर्तन का किसी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

j. गारंटर यहाँ इसके माध्यम से इस बात से सहमत है और घोषणा करता है कि उधारकर्ता, इस गारंटी के मौजूद रहने के दौरान अतिरिक्त ऋण या अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने और/या उन्हें नवीनीकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा, और ऐसी स्थिति में यहाँ दी गई गारंटी पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या अंतर नहीं आएगा, बल्कि यह गारंटर के लिए पूरी तरह से लागू और बाध्यकारी रहेगी।

k. गारंटर यहाँ इसके माध्यम से इस बात से सहमत है कि इस ऋण समझौते के तहत गारंटर से भुगतान करने के लिए कहने से पहले कंपनी के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करना या उधारकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी नहीं होगा।

l. गारंटर इस गारंटी के तहत कंपनी की मांग पर दिए जाने योग्य भुगतान करने के लिए सहमत है, भले ही कंपनी और उधारकर्ता के बीच इस ऋण समझौते या इससे जुड़े किसी अन्य दस्तावेज के किसी प्रावधान के संबंध में कोई विवाद लंबित हो।

m. यह गारंटी एक जारी रहने वाली गारंटी रहेगी और यह तब तक पूरी तरह से लागू रहेगी जब तक कि उधारकर्ता सभी ब्याजों, दंडात्मक शुल्कों, लागतों, प्रभारों और अन्य सभी धनराशियों सहित ऋण का पूरी तरह भुगतान नहीं कर देता है, जो समय-समय पर इस ऋण समझौते के तहत कंपनी को देय और भुगतान योग्य हो सकती हैं और जिनका भुगतान नहीं किया गया है।

n. गारंटर इस बात से सहमत है कि इस ऋण समझौते में किसी भी खराबी या अमान्यता और/या अधूरे दस्तावेजों या लेखन के बावजूद, यह गारंटी, वैध और प्रभावी रहेगी और गारंटर को यहाँ इस समझौते के तहत उसकी देयता से मुक्त नहीं किया जाएगा, उसे इस गारंटी का मान रखना ही होगा।

o. यह गारंटी, उधारकर्ता द्वारा कंपनी को किए गए या उसके साथ निपटाए गए किसी भी भुगतान के माध्यम से पूरी तरह या आंशिक रूप से संतुष्ट या समाप्त नहीं होगी और यह गारंटर पर, वैध और बाध्यकारी होगी और इस ऋण समझौते के तहत कंपनी को देय सभी धनराशि का पूर्ण पुनर्भुगतान होने तक प्रभावी रहेगी।

p. जब तक उधारकर्ता द्वारा कंपनी के ऋण के पुनर्भुगतान के साथ-साथ ब्याज और अन्य सभी खर्चों और सभी बकाया राशियों का भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक यह गारंटी, अपरिवर्तनीय रहेगी और पूरी तरह लागू और प्रभावी रहेगी, भले ही कंपनी ने ऋण को सुरक्षित करने के लिए कोई अन्य कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त कर ली हो। यह गारंटी, गारंटर के उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और प्रशासकों पर बाध्यकारी होगी।

15. प्रीक्लोजर या पूर्व-समापन:

a. कंपनी, अपने एकमत्र विवेक पर और पूर्व-भुगतान के संबंध में निर्धारित की जाने वाली शर्तों पर, उधारकर्ता के अनुरोध पर, किस्तों का जल्दी से भुगतान करने या ऋण का पूर्व-समापन करने की अनुमति दे सकती है।

b. उधारकर्ता, ऋण का पूर्व-समापन करने का इरादा करने से कम से कम 21 (इक्कीस) दिन पहले कंपनी को लिखित नोटिस देकर और कंपनी को बकाया ऋण राशि, अतिदेय किस्तों, ब्याज, दंडात्मक शुल्कों, और उधारकर्ता द्वारा कंपनी को ऋण समझौते के तहत देय और भुगतान योग्य अन्य सभी धनराशियों का भुगतान करके संपूर्ण बकाया ऋण का पूर्व-समापन या प्रीक्लोजर कर सकता है। प्री-क्लोज़र तब तक नहीं किया जा सकता जब तक अनुसूची में निर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं हो जाती

c. ऋण का पूर्व-समापन करने पर इस ऋण समझौते की अनुसूची में बताए गए अनुसार या कंपनी द्वारा तय की गई दरों पर एक पूर्व-समापन शुल्क लगेगा।

d. विवरण में उल्लिखित पूर्व-समापन राशि, खाते के विवरण में दिखाई देने वाले चेक/अधिदेश की वसूली और इस अनुमान पर निर्भर होती है कि ऋण समझौते के अनुसार सारा भुगतान कर दिया गया है, और ऐसा न करने पर, इसका ठीक उल्टा होगा और चेक/अधिदेश अनादर शुल्क, दंडात्मक शुल्क और अन्य शुल्क देने पड़ सकते हैं।

16. दंडात्मक शुल्क:

उधारकर्ता/गारंटर, कंपनी के समाप्ति अधिकारों और इस ऋण समझौते के तहत उसके अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी को, किस्तों या अन्य बकाया राशियों का भुगतान करने में देरी होने पर, देय तिथि से लेकर कंपनी की संतुष्टि तक चूक वाली राशि का पूरी तरह भुगतान करने की वास्तविक तिथि तक, अनुसूची में उल्लिखित दर से चूक वाली राशियों पर लगने वाले दंडात्मक शुल्क का भुगतान करेगा ("दंडात्मक शुल्क")

17. सौंपना और प्रतिभूतिकरण:

a. यह ऋण समझौता, उधारकर्ता और गारंटर दोनों के लिए एक व्यक्तिगत ऋण समझौता है। उधारकर्ता या गारंटर को, कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना, इस ऋण समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार या दायित्व या लाभ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को सौंपने या हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा।

b. कंपनी को इस ऋण समझौते के तहत अपने किसी भी या सभी अधिकारों, लाभों, दायित्वों, कर्तव्यों और देनदारियों को प्रदान करने, सुरक्षित करने, बेचने, सौंपने या हस्तांतरित करने का पूरा अधिकार और प्राधिकार होगा, जिसमें उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस दिए बिना, किसी भी व्यक्ति या संस्था को बिक्री, हस्तांतरण, प्रतिभूतिकरण, प्रभार सौंपकर या किसी अन्य माध्यम से किस्तों और शेष ऋण को प्राप्त करने का अधिकार शामिल है और ऐसी कोई भी बिक्री, सौंपने या हस्तांतरित करने का कार्य, निर्णायक रूप से उधारकर्ता/गारंटर के लिए बाध्यकारी होगा, और उधारकर्ता और गारंटर इस ऋण समझौते के तहत ऐसे सौंपे गए कार्यभार वाले व्यक्ति के प्रति अपने दायित्वों का पालन करेंगे। उधारकर्ता, स्पष्ट रूप से यह मानता और स्वीकार करता है कि कंपनी को किसी भी तरह से, और अपनी तय की गई शर्तों पर, सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपने सभी अधिकारों और हितों को बेचने, सौंपने या हस्तांतरित करने का पूरा अधिकार और प्राधिकार है, जिसमें वह अधिकार भी शामिल है जिसके तहत वह उधारकर्ता को संदर्भित किए बिना या लिखित सूचना दिए बिना अपनी पसंद के तीसरे पक्ष को क्रेता, समनुदेशिती (असाइनी) या हस्तांतरिती (ट्रांसफ़री) की ओर से उधारकर्ता के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है।

c. करने और/या उधारकर्ता से बकाया राशि/जमानत राशि प्राप्त करने के लिए, उधारकर्ता के जोखिम और लागत पर, एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार देता है, और वह ऐसे लोगों को कंपनी को उचित लगने वाले दस्तावेज, जानकारी, तथ्य और आंकड़े प्रदान कर सकता है और इन सबका खर्च, उधारकर्ता को उठाना होगा।

18. ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ:

a. कंपनी के पास, उधारकर्ता/गारंटर से संबंधित किसी भी खाते में जमा सभी धनराशियों पर ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ अधिकार होगा। कंपनी की मांग पर निर्धारित समय के भीतर ऋण खाते की बकाया राशि का पुनर्भुगतान न किए जाने पर, उधारकर्ता/गारंटर के किसी भी खाते में जमा शेष राशि को ऋण खाते की बकाया राशि के साथ समायोजित कर दिया जाएगा। पैसे कम पड़ने पर, उस पैसे को कंपनी द्वारा उधारकर्ता/गारंटर से वसूल किया जा सकता है। कंपनी को, एनओसी/फॉर्म-35, मूल स्वत्व विलेख या टाइटल डीड/दस्तावेज, कोई बकाया नहीं पत्र जारी करने/संभालने की प्रक्रिया और/या उधारकर्ता द्वारा लिए गए वाहन और/या अन्य सुरक्षित ऋण के तहत बंधक/गिरवी रखी गई उधारकर्ता की परिसंपत्तियों से संबंधित संपत्ति की बंधकी को समाप्त करने की प्रक्रिया को तब तक रोककर रखने का अधिकार होगा जब तक इस ऋण समझौते के तहत और/या बाद में किए जाने वाले या कंपनी से प्राप्त वित्तीय सुविधा के तहत उधारकर्ता/गारंटी से संबंधित पाए जाने वाले अन्य समझौतों के तहत उधारकर्ता/गारंटर द्वारा लगातार चूक होती रहेगी। इसलिए, उधारकर्ता/गारंटर यहाँ इसके माध्यम से इस बात से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि उधारकर्ता/गारंटर द्वारा किए गए सभी समझौतों के तहत सभी बकाया राशियों/शुल्कों का पूरी तरह भुगतान और निपटान करने के बाद ही उन्हें एनओसी/फॉर्म-35, स्वत्व विलेख या टाइटल डीड/दस्तावेज, कोई बकाया नहीं पत्र प्राप्त करने और उपरोक्त बंधकी को समाप्त करने का अनुरोध करने का अधिकार होगा।

b. उधारकर्ता/गारंटर द्वारा कोई सेट-ऑफ या काउंटर क्लेम या प्रतिदावा नहीं किया जाएगा और इस ऋण समझौते के तहत उधारकर्ता/गारंटर द्वारा किए गए सभी भुगतान, बिना किसी सेट-ऑफ या गारंटी के या किसी भी क़ानून के तहत किए जाने चाहिए।

19. क्षतिपूर्ति:

उधारकर्ता/गारंटर उन सभी कार्रवाइयों, मुकदमों, कार्यवाहियों और सभी लागतों, शुल्कों, बीमा प्रीमियम संबंधी खर्चों, हानियों या क्षतियों के लिए कंपनी को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति देता रहेगा, जो उधारकर्ता/गारंटर द्वारा कंपनी को दी गई किसी गलत या भ्रामक जानकारी या उधारकर्ता/गारंटर द्वारा किसी नियम, शर्त, समझौते और प्रावधान का उल्लंघन/चूक/विरोध के कारण या उनका पालन/निष्पादन न करने के कारण कंपनी को हुई होगी। कंपनी को इस धारा के तहत उधारकर्ता द्वारा देय राशि को, इस ऋण समझौते से संबंधित होने के कारण कथित बकाया राशि में शामिल करने का अधिकार होगा।

20. नोटिस:

यहाँ इसके तहत दी गई नोटिस को, इस ऋण समझौते में उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटर के पते पर डाक/कूरियर/टेलीग्राम/फैक्स/ई-मेल द्वारा भेजे जाने पर या उधारकर्ता/गारंटर को विधिवत तरीके से सूचित करके ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजे जाने पर विधिवत तरीके से दिया गया नोटिस माना जाएगा और ई-मेल/अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के अलावा किसी अन्य तरीके से भेजी गई ऐसी नोटिस को, उस नोटिस को पोस्ट करने की तारीख के बाद दूसरे कार्य दिवस को, या नोटिस मिलने की वास्तविक तारीख को, जो भी पहले हो, प्रभावी माना जाएगा। ई-मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस भेजे जाने पर, नोटिस को तभी दिया गया माना जाएगा जब ऐसे नोटिस को पढ़े जाने की प्राप्ति सूचना दे दी जाएगी, या जहां नोटिस भेजते समय कंपनी द्वारा नोटिस को पढ़े जाने की प्राप्ति सूचना देने का अनुरोध नहीं किया जाएगा।

21. लागत और खर्च:

a. इस ऋण समझौते के संबंध में सभी लागत (वकील की फीस सहित), शुल्क, खर्च, कर, ड्यूटी (स्टाम्प ड्यूटी सहित) का भुगतान, उधारकर्ता और गारंटर को करना और उठाना होगा। उधारकर्ता और गारंटर को, कंपनी द्वारा किस्तें और कंपनी को दी जाने वाली कोई

अन्य राशि वसूल करने या ऐसा करने का प्रयास करने में होने वाले खर्च का भुगतान करना होगा जिसमें इन्हें वसूल करने के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों के खर्च और कानूनी कार्यवाही में होने वाले खर्च भी शामिल है।

b. उधारकर्ता/गारंटर को कंपनी की तरफ से मांग संबंधी नोटिस मिलने की तारीख से 3 दिनों के भीतर कंपनी द्वारा दी गई धनराशि या किए गए खर्च को लौटना होगा। उपरोक्त धनराशि पर, भुगतान की तारीख से लेकर उन्हें लौटाने की तारीख तक दंडात्मक शुल्क लगेगा।

22. परित्याग:

इस ऋण समझौते या किसी अन्य समझौते या कंपनी द्वारा प्रदान किए गए किसी दस्तावेज या रियायत के तहत कंपनी को मिलने वाले किसी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में किसी प्रकार की देरी होने पर या उनका प्रयोग करने में चूक होने पर, ऐसे किसी अधिकार, शक्ति या उपाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसे इन अधिकारों का परित्याग या किसी चूक में किसी प्रकार की मौन सम्मति नहीं मानी जाएगी, और न ही किसी चूक के संबंध में कंपनी की सक्रियता या निष्क्रियता या किसी चूक में किसी प्रकार की मौन सम्मति के कारण, किसी अन्य चूक के संबंध में कंपनी के किसी अधिकार, शक्ति या उपाय पर कोई प्रभाव पड़ेगा या कोई कमी आएगी।

23. प्रवर्तनीयता:

इस ऋण समझौते में उल्लिखित किसी प्रावधान के अमान्य या अप्रवर्तनीय पाए जाने पर पर, बाकी का ऋण समझौता प्रवर्तनीय होगा और कानून द्वारा स्वीकृत सीमा तक, इस तरह के किसी अमान्य या अप्रवर्तनीय अधिकार या प्रावधान में दिखाई देने के अनुसार, पक्षों के इरादे को महत्व दिया जाएगा।

24. क्रेडिट संबंधी जानकारी:

(a) उधारकर्ता/गारंटर यहाँ इसके माध्यम से इस बात से सहमत है और यह सहमति देता है कि कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से सभी या किसी भी जानकारी का खुलासा किया जा सकता है;
i. उधारकर्ता/गारंटर से संबंधित जानकारी और डेटा;
ii. उधारकर्ता/गारंटर द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्त की जाने वाली ऋण सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा, और
iii. उधारकर्ता/गारंटर द्वारा अपने दायित्व का पालन करने में होने वाली चूक की जानकारी, जिसके बारे में कंपनी, उचित और जरूरी लगने पर, क्रेडिट सूचना कंपनी/कंपनियों और/या इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या किसी अन्य लागू कानून के तहत अधिकृत एजेंसी/एजेंसियों को बता सकती है;

(b) उधारकर्ता/गारंटर यह वचन देता है कि क्रेडिट सूचना कंपनी/कंपनियां और/या अधिकृत एजेंसी/एजेंसियां

i i.कंपनी द्वारा दी गई कथित जानकारी और डेटा को उन्हें उचित लगने वाले तरीके से उपयोग और प्रोसेस कर सकती हैं; और
ii. उनके द्वारा प्रोसेस की गई जानकारी और डेटा या तैयार किए गए उत्पादों को, इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए अनुसार, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और अन्य ऋणदाताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सोच-विचार करने के लिए प्रदान कर सकती

हैं। उधारकर्ता/गारंटर इस बात पर भी सहमत है और सहमति देता है कि कंपनी, उचित लगने पर, समूह की कंपनियों, सहायक कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति को उधारकर्ता/गारंटर की सभी या कोई भी जानकारी दे सकती है।

25. विविध:

a. कंपनी को किसी भी नियम और शर्त (जिसमें ब्याज दर, दंडात्मक शुल्क, पूर्व-समापन के लिए लागू होने वाली दरें, और इस ऋण समझौते के तहत लगाए जाने वाले अन्य शुल्क भी शामिल हैं) को भावी रूप से बदलने, सुधारने या संशोधित करने का अधिकार है और उधारकर्ता को उचित लगने वाले तरीके से, शर्तों व नियमों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में सूचित कर सकती है।

b. उधारकर्ता/गारंटर के पते में कोई परिवर्तन होने पर, कंपनी को ऐसे परिवर्तन के 4 दिनों के भीतर उसकी लिखित सूचना देनी होगी।

c. इस ऋण समझौते को भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित और लागू किया जाएगा।

d. दोया दो से अधिक उधारकर्ता होने पर, इस ऋण समझौते के तहत उनकी देयताएं, संयुक्त और अनेक होंगी।

e. सभी पत्राचार में, उधारकर्ता/गारंटर को ऋण समझौता संख्या का उल्लेख करना चाहिए।

f. इस ऋण समझौते में, जब तक कि उसका संदर्भ या अर्थ भिन्न न हो तब तक:

   i. एकवचन में बहुवचन और बहुवचन में एकवचन शामिल होगा।

   ii. किसी व्यक्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों में व्यक्ति, निगम, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट या कोई अन्य इकाई शामिल होगी।

   iii. शीर्षक, सिर्फ संदर्भ के लिए होंगे।

g. उधारकर्ता यहाँ इसके द्वारा इस बात से सहमत है और पुष्टि करता है कि कंपनी को ऋण के साथ-साथ अपने अन्य उत्पादों और सेवाओं (जैसे बीमा) और अपने सहयोगियों के उत्पादों और सेवाओं को उधारकर्ता को बेचने का अधिकार होगा।

26. मध्यस्थता:

(a) इस समझौते के अस्तित्व में रहने के दौरान या उसके बाद इस समझौते के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी विवादों, मतभेदों, और/या दावों का निपटान, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 ("अधिनियम") या इसमें होने वाले वैधानिक संशोधन के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा, जिसके बारे में विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने से पहले बता दिया जाएगा, और ऐसे विवाद के आरंभकर्ता द्वारा ऐसे विवादों, मतभेदों और/या दावों को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थकर्ता को नियुक्त करने की मांग करते हुए इसे निम्नलिखित में से किसी एक तटस्थ मध्यस्थता संस्थान के पास भेजा जाएगा (जिसे यहाँ इसके बाद से "मध्यस्थता संस्थान" कहकर संबोधित किया गया है):

a. प्रीसोल्व360, जो कि एक ऑनलाइन विवाद निवारण मंच/संस्थान है, जिसे वर्तमान में एजक्राफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका वर्तमान कार्यालय, तीसरी मंजिल, चर्चगेट हाउस, 32, वीर नरीमन रोड, फोर्ट, मुंबई- 400 023 में स्थित है (और इसके बाद इसमें होने वाला कोई परिवर्तन)। (या)
b. एड्रेस नाउ (ADReS Now), जो कि एक ऑनलाइन विवाद निवारण मंच/संस्थान है, जिसे वर्तमान में ADR ई-सर्वत्र प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है, जिसका वर्तमान कार्यालय, 63, पैलेस रोड, वसंतनगर, बेंगलुरु - 560 052 में स्थित है (और इसके बाद इसमें होने वाला कोई परिवर्तन)। (या)
c. भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद, जो कि एक ट्रस्ट है, जिसका कार्यालय, नंबर 6, M.T.H. रोड, DABC कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, विल्लीवाक्कम, चेन्नई - 600 049 में स्थित है। (और उसके बाद इसमें होने वाला कोई परिवर्तन)।

मध्यस्थता संस्थान ऐसे विवादों, मतभेदों और/या दावों को एक मध्यस्थकर्ता के पास भेजेगा। मध्यस्थता संस्थान द्वारा की गई मध्यस्थकर्ता की नियुक्ति, इस समझौते के सभी पक्षों की आपसी सहमति से संयुक्त रूप से की गई नियुक्ति मानी जाएगी। ऐसे मध्यस्थकर्ता द्वारा दिया गया निर्णय, इस समझौते के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(b)
मध्यस्थता संस्थान, निम्नलिखित परिस्थिति में, नियुक्त किए गए मध्यस्थकर्ता के स्थान पर एक वैकल्पिक मध्यस्थकर्ता की नियुक्ति करेगा:

i. नियुक्त किए गए मध्यस्थकर्ता की मृत्यु होने पर; या
ii. यदि नियुक्त किया गया मध्यस्थकर्ता, किसी कारण से मध्यस्थकर्ता के रूप में कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक हो।

(c) मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान, चेन्नई या कोलकाता होगा। चेन्नई या कोलकाता के न्यायालयों को, इस समझौते के तहत या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले विवादों, मतभेदों और/या दावों पर सुनवाई और विचार करने का विशेष क्षेत्राधिकार होगा। मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा, अंग्रेजी होगी।

(d) मध्यस्थता कार्यवाही को सुगम बनाने के लिए, जरूरत पड़ने पर, मध्यस्थता संस्थान द्वारा मध्यस्थकर्ता को प्रशासनिक सहायता प्रदान की जा सकती है।

(e) इस समझौते के सभी पक्ष यहाँ इसके द्वारा यह सहमति देते हैं कि वे मध्यस्थकर्ता द्वारा बताए गए तरीके से, लिखित दलीलें/निवेदन, भौतिक रूप से और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक/वर्चुअल तरीके से (डाक या ई-मेल के माध्यम से और/या जरूरत पड़ने पर, किसी बाहरी एप्लीकेशन या प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस (VC), ऑनलाइन, वर्चुअल सुनवाई आदि सहित किसी दूसरी तरह के इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से) या दोनों माध्यम से दस्तावेज प्रदान करके मध्यस्थता कार्यवाही किए जाने की सहमति देते हैं, जिनका निर्णय, सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(f) मध्यस्थकर्ता, उचित लगने पर, खुद या मध्यस्थता संस्थान के माध्यम से, इस समझौते के पक्षों को, ईमेल के माध्यम से या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, अपने निर्णय/अंतरिम निर्णय/आदेश की एक कॉपी, या ऐसे निर्णय या इलेक्ट्रनिक/डिजिटल तरीके से हस्ताक्षर किए निर्णय की एक स्कैन की गई छवि भेजेगा, जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक हस्ताक्षर की गई कॉपी मानी जाएगी।

(g) उधारकर्ता/गारंटर द्वारा कंपनी को उधारकर्ता/गारंटर द्वारा कंपनी के साथ किए गए/शेयर किए गए समझौते या किसी अन्य दस्तावेज के तहत प्रदान किए गए डाक पते/ई-मेल पते और/या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पते को एक सक्रिय डाक पता/ई-मेल पता और/या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक पता माना जाएगा और इस तरह के सक्रिय डाक पते/ई-मेल पते और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक पते पर प्रदान की गई सेवा को पूरी की गई सेवा मानी जाएगी। उपरोक्त डाक पते/ई-मेल पते और/या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर या अन्य विसंगतियां दिखाई देने पर उसके बारे में कंपनी को तुरंत सूचित करना होगा।

27. शिकायत समाधान पद्धति:

कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एक विस्तृत शिकायत समाधान का पद्धति का निर्माण किया है। शिकायत समाधान पद्धति और संपर्क का विवरण https://cholamandalam.com/grievance-redressal.aspx पर दिया गया है। उधारकर्ता इस शिकायत समाधान पद्धति के तहत अपनी शिकायतों का समाधान करा सकता है।

28. इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल निष्पादन और संचार:

उधारकर्ता और गारंटर इस बात से सहमत हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे ऋण समझौते और संबंधित दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल तरीके से डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करके या उनके बताए गए मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) और/या ई-लिंक के माध्यम से और/या 'मैं सहमत हूँ/स्वीकार करता हूँ' बटन पर क्लिक करके या किसी अन्य तरीके से निष्पादित कर सकते हैं, जो दोनों पक्षों के लिए एक बाध्यकारी समझौता होगा।

उधारकर्ता और गारंटर को पता है कि इस ऋण समझौते, नियम और शर्तों, निर्देशों, स्वीकृतियों और संचारों ('संचार') को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ईमेल, फैक्स, एसएमएस टेक्स्ट मैसेज, ऑनलाइन/वेबसाइट स्वीकृति, आदि ('इलेक्ट्रॉनिक मीडिया') के माध्यम से भेजने में धोखाधड़ीपूर्ण परिवर्तन और गलत प्रसारण तथा गोपनीयता, डेटा संरक्षण और गोपनीयता की अनुपस्थिति सहित कई जोखिम होते हैं। हालांकि, उधारकर्ता/गारंटर, इस ऋण समझौते के तहत विभिन्न मामलों के लिए या ऋण के सम्बन्ध में या उसके संचालन के सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कंपनी से संचार प्राप्त और प्रदान करने का इच्छुक है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी ने ऐसा करने की अनुमति दी है, उधारकर्ता/गारंटर, अपरिवर्तनीय रूप से कंपनी के सामने निम्नलिखित बातों की पुष्टि करता है और वचन देता है:

1. कंपनी को अपनी आवश्यकताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार पर भरोसा करने (और उसे वास्तविक मानने) का अधिकार होगा। क्या संचार प्रदान या प्राप्त किया गया था, इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न होने पर, कंपनी द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिकॉर्ड को अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी माना जाएगा, और कंपनी इस संबंध में किसी भी प्रकार का सत्यापन करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

2. उधारकर्ता/गारंटर इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी, संचार में दिखाई देने वाले संपूर्ण संचार या उसके किसी हिस्से के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगी और इसका जोखिम, सिर्फ उधारकर्ता/गारंटर के ऊपर होगा।

3. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भेजे गए संचार के आधार पर कंपनी द्वारा कोई कार्य किए जाने या करने से मना किए जाने या चूक होने या टाले जाने के कारण होने वाले परिणामों के लिए कंपनी, जिम्मेदारी नहीं होगी।

4. उधारकर्ता और गारंटर को पता है और वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि कंपनी सिर्फ इस खंड में दिए गए वचनों के कारण और उनके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदान किए गए संचार के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत है।

29. स्वीकृति:

उधारकर्ता और गारंटर यहाँ इसके माध्यम से निम्न बातों की घोषणा करते हैं: उन्होंने संपूर्ण ऋण समझौते को पढ़ लिया है, जिसमें अनुसूचियों में दिए गए सारे विवरण भी शामिल हैं, जिन्हें उनकी मौजूदगी में भरा गया था, उन्होंने सभी खंडों/विवरणों को अच्छी तरह समझ लिया है और वे उनसे बंधे रहने के लिए सहमत हैं। उन्होंने उपरोक्त सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज निष्पादित कर लिए हैं।

वे इस बात से सहमत हैं कि यह ऋण समझौता, उस तारीख को पूरा होगा और कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा जिस दिन, कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

इस ऋण समझौते पर सभी पक्षों ने अनुसूची में बताए गए दिन, महीने और वर्ष में हस्ताक्षर किया है

हस्ताक्षरित और वितरित

इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा के लिए

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हस्ताक्षरित और वितरित इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा

उधारकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

हस्ताक्षरित और वितरित

इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा

सह-उधारकर्ता 1 का नाम और हस्ताक्षर

हस्ताक्षरित और वितरित

इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा

सह-उधारकर्ता 2 का नाम और हस्ताक्षर

हस्ताक्षरित और वितरित

इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा

सह-उधारकर्ता 3 का नाम और हस्ताक्षर

हस्ताक्षरित और वितरित

इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा

सह-उधारकर्ता 4 का नाम और हस्ताक्षर

हस्ताक्षरित और वितरित

Chola
Enter a better life

इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा

सह-उधारकर्ता 5 का नाम और हस्ताक्षर

इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा

गारंटरों का नाम और हस्ताक्षर

अनुसूची

ऋण समझौते की तारीख:	
ऋण आवेदन संख्या:	

क्र.सं.	उधारकर्ता/गारंटर का प्रकार	नाम	पता
1	उधारकर्ता		
2	सह-उधारकर्ता1		
3	सह-उधारकर्ता2		
4	सह-उधारकर्ता3		
5	सह-उधारकर्ता4		
6	सह-उधारकर्ता5		
7	गारंटर		

क्र.सं.	उधारकर्ता/गारंटर का प्रकार	ईमेल पता	मोबाइल नंबर:	पेशे/व्यवसाय का स्थान	स्थिति (व्यक्तिगत/एकमात्र स्वामी/कंपनी/पार्टनरशिप)
1	उधारकर्ता				
2	सह-उधारकर्ता1				
3	सह-उधारकर्ता2				
4	सह-उधारकर्ता3				
5	सह-उधारकर्ता4				
6	सह-उधारकर्ता5				
7	गारंटर				

ऋण का उद्देश्य:	
ऋण उत्पाद	
ऋण राशि	
ऋण की अवधि	

ब्याज का प्रकार	स्थिर	
ब्याज दर	% प्रति वर्ष	
पुनर्भुगतान अनुसूची* (a) प्रत्येक किस्त की राशि		
(b) किस्तों की संख्या		
(c) पहली किस्त का भुगतान,------- को या उससे पहले करना होगा और उसके बाद की किस्तों का भुगतान, प्रत्येक आगामी महीने की 5 तारीख को या उससे पहले करना होगा;	इसके बारे में स्वागत पत्र के माध्यम से या कंपनी द्वारा तय किए गए किसी अन्य तरीके से बताया जाएगा	
पुनर्भुगतान की बारंबारता	मासिक किस्तों में	
दंडात्मक शुल्क	**देय तिथि से वास्तविक भुगतान तिथि तक चूक की गई राशि पर 30% प्रति वर्ष।**	
दस्तावेज़/डुप्लिकेट दस्तावेज़ शुल्क: i भौतिक खाता विवरण शुल्क ii. डुप्लीकेट एनओसी iii. भौतिक पुनर्भुगतान अनुसूची	Rs.250/- Rs.1000/- Rs.500/-	
चेक/अधिदेश स्वैप शुल्क	Rs.500/-	
सोर्सिंग शुल्क – प्रशासनिक और प्रोसेसिंग शुल्क (P.F)	S.F RS	ऋण राशि का ______–
चेक/अधिदेश बाउंस शुल्क	Rs.1000/-	
अधिदेश अस्वीकृति शुल्क	Rs.500/-	
विधिक प्रभार	वास्तविक पर + जीएसटी	
प्रीक्लोज़र की शर्त (पूर्ण बंद)	नियत तिथि पर छह किश्तों के भुगतान तक किसी भी प्रकार की पूर्व-बंदी की अनुमति नहीं है।	
पूर्व समापन की शर्तें (पूर्ण समापन)	7वीं से 12वीं किस्तों तक किए गए पूर्व-समापन के लिए बकाया मूलधन पर 6% + जीएसटी 12वीं किस्त नियत तिथि पर चुकाने के बाद प्रीक्लोजर करने पर बकाया मूलधन पर 4% + जीएसटी लागू होगा	

वैधानिक और विनियामक शुल्क – स्टाम्प ड्यूटी	

ध्यान दें:1. उपरोक्त सभी शुल्कों और प्रभारों में, समय-समय पर लागू हो सकने वाले कर, ड्यूटी, लेवी, अधिभार और उपकर शामिल नहीं हैं।

2. मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) और उसके अनुलग्नक, अनुसूची में संलग्नक के रूप में दिए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत ऋणों को निम्नलिखित तरीके से एसएमए और एनपीए श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

वर्गीकरण श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार – मूलधन या ब्याज का भुगतान या कोई अन्य राशि जो सम्पूर्ण या आंशिक रूप से ओवरड्यू या अतिदेय हो
एसएमए-0	30 दिन तक
एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक
एसएमए-2	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक
एनपीए	90 दिन से अधिक

एसएमए या एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने का काम, संबंधित तारीख के लिए दिन के अंत में होने वाली प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में किया जाता है, और एसएमए या एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख को कंपनी द्वारा दिन के अंत में होने वाली प्रक्रिया को पूरा किया जाता है।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाने पर ऋण खातों को मानक परिसंपत्ति के रूप में सिर्फ तभी अपग्रेड किया जाएगा जब उधारकर्ता द्वारा संपूर्ण बकाया मूलधन, ब्याज और/या अन्य राशियों का भुगतान कर दिया जाएगा (यहाँ "मानक परिसंपत्ति" का मतलब एक ऐसा ऋण खाता है जिसे एसएमएया एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की जरूरत नहीं है)। एसएमएया एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने का काम, उधारकर्ता के स्तर पर किया जाता है जिसका मतलब है कि उधारकर्ता के सभी ऋण खातों को लागू होने पर सबसे अधिक ओवरड्यू या अतिदेय दिनों वाले ऋण के लिए वर्गीकृत किया जाएगा।

ऋण खाते को एसएमएया एनपीए के रूप में या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य नई श्रेणी के रूप में वर्गीकृत करने के मामले में होने वाले परिवर्तन को कंपनी द्वारा स्वचालित रूप से लागू किया जाएगा जो उधारकर्ता पर लागू हो जाएगा।

एसएमए/एनपीए वर्गीकरण का उदाहरण: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि, 31 मार्च 2022 है, और कंपनी को इस तारीख को उस दिन की अंतिम प्रक्रिया को पूरा करने से पहले सम्पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो ओवरड्यू या अतिदेय की तिथि, 31 मार्च 2022 होगी। यदि ऋण खाता लगातार अतिदेय बना रहता है, तो ऋण खाते को 30 अप्रैल 2022 को, यानी लगातार अतिदेय रहने के 30 दिन पूरे होने पर, उस दिन की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने पर एसएमए-1 के रूप में टैग या वर्गीकृत कर दिया जाएगा। इस तरह, ऋण खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तारीख, 30 अप्रैल 2022 होगी

इसी तरह, यदि ऋण खाता लगातार अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई 2022 को दिन की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने पर एसएमए-2 के रूप में टैग या वर्गीकृत कर दिया जाएगा और यदि यह आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे 29 जून 2022 को दिन की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि एसएमए और एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने के आधार और उदाहरण के बारे में यहाँ इसलिए बात दिया गया है ताकि उधारदाता को कंपनी द्वारा ऋण खाते को एसएमए और एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में पता चल सके। इस प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन हो सकता है।

हस्ताक्षरित और वितरित

इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा के लिए

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

हस्ताक्षरित और वितरित इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हस्ताक्षरित और वितरित

इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा

उधारकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

हस्ताक्षरित और वितरित

इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा

सह-उधारकर्ता 1 का नाम और हस्ताक्षर

हस्ताक्षरित और वितरित

इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा

सह-उधारकर्ता 2 का नाम और हस्ताक्षर

हस्ताक्षरित और वितरित

इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा

सह-उधारकर्ता 3 का नाम और हस्ताक्षर

हस्ताक्षरित और वितरित

इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा

सह-उधारकर्ता 4 का नाम और हस्ताक्षर

हस्ताक्षरित और वितरित

इसके भीतर नामित व्यक्ति द्वारा

सह-उधारकर्ता 5 का नाम और हस्ताक्षर

गारंटरों का नाम और हस्ताक्षर

पुनर्भुगतान अनुसूची

क़िस्त#	देय तिथि	प्रारंभिक शेष राशि	किस्त	मूलधन	ब्याज	प्रभावी दर (%) दिन

*कृपया ध्यान दें कि यहाँ ऊपर दी गई पुनर्भुगतान अनुसूची, अस्थायी है जो ऋण संवितरण की वास्तविक तिथि और मात्रा के आधार पर बदल सकती है, और संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची के बारे में उधारकर्ता को लिखित रूप में बता दिया जाएगा और उसे इस समझौते का हिस्सा माना जाएगा।